

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2167/2024

थाना से उत्पन्न केस नं.-7 वर्ष-2022 थाना- ई.सी.आई.आर (सरकारी अधिकारी) जिला-पटना

=====

अजय सिंह, पिता: स्वर्गीय सुरेश सिंह, निवासी: फ्लैट नंबर 18, एबी, 18 वीं मंजिल, टावर
2, द एम्पायर, 16 ए गुरुसदय रोड, बालीगंज, पी. एस.-काराया, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-
700019

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रवर्तन निदेशालय, निदेशक के माध्यम से, परिवर्तन भवन, एपीजे अब्दुल कलाम रोड नई दिल्ली, 110011 ।
2. उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, पटना क्षेत्रीय कार्यालय प्रथम तल, चांदपुरा प्लेस, बैंक रोड, पश्चिम गाँधी मैदान, पटना ।
3. सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, पटना क्षेत्रीय कार्यालय प्रथम तल, चांदपुरा प्लेस बैंक रोड पश्चिम गाँधी मैदान, पटना ।

... .. उत्तरदातागण

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं के लिए:

श्री राजेंद्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता

श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता

श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता

सुश्री अभिलाषा झा, अधिवक्ता

सुश्री सिमरन कुमारी, अधिवक्ता

श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए

श्री डॉ. कृष्ण नंदन सिंह (एएसजी)

ईडी, यूओआई की ओर से:

श्री मनोज कुमार सिंह, अधिवक्ता

श्री शिव आदित्य धारी सिन्हा, अधिवक्ता

श्री अंकित कुमार सिंह, अधिवक्ता

=====

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002---धारा 2(1)(पी), (यू), 3, 4, 13, 19, 45, 50(3), 63, 65, 66(2), 71---भारत का संविधान---अनुच्छेद 20(3), 21, 22(1), 226---दंड प्रक्रिया संहिता---धारा 41(1)(बी), 482, 439---भारतीय दंड संहिता---धारा 26, 411, 420, 120 बी, 384, 467, 379, 406, 468, 471---भारतीय साक्ष्य अधिनियम---धारा 10---बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियम, 2019---नियम 11, 39---खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957---नियम 21---बिहार लघु खनिज समनुदेशन नियम, 1972---नियम 40---पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986---धारा 15---विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973---धारा 35---सीमा शुल्क अधिनियम---धारा 103---पीएमएलए अधिनियम के तहत गिरफ्तारी की शक्ति---प्रवर्तन निदेशालय, पटना जोनल कार्यालय द्वारा याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी को पूरी तरह से अवैध और मनमानी प्रकृति का और पीएमएलए अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन घोषित करने के लिए आपराधिक रिट---याचिकाकर्ता के खिलाफ अवैध बालू खनन में संलिप्तता का आरोप है।

निष्कर्ष: पीएमएलए अधिनियम की धारा 19 (1) गिरफ्तारी अधिकारी पर यह कर्तव्य डालती है कि वह अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह राय बनाए कि "विश्वास करने का कारण" है कि व्यक्ति अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है --- "विश्वास करने का कारण" शब्द को सीआरपीसी की धारा 41 (1) (बी) में निहित उचित शिकायत या विश्वसनीय जानकारी या उचित संदेह शब्द के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है --- "विश्वास करने का कारण" ठोस सबूत या सामग्री है जो कुछ तथ्यों के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण बनता है जो गिरफ्तारी की शक्ति के मूल में जाता है --- पीएमएलए की धारा 19 (1) के तहत गिरफ्तार करने की शक्ति जांच के उद्देश्य से नहीं है। गिरफ्तारी के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए और पीएमएलए की धारा 19(1) के तहत शक्ति का प्रयोग तभी किया

जा सकता है जब नामित अधिकारियों के पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर वे लिखित में कारण दर्ज करके यह राय बना सकें कि गिरफ्तार व्यक्ति दोषी है - धारा 19(1) केवल जांच करने के लिए गिरफ्तारी की अनुमति नहीं देती है---अवैध रेत खनन कारोबार में याचिकाकर्ता की संलिप्तता को साबित करने के लिए, कम से कम कुछ सामग्री प्रस्तुत करना आवश्यक था, जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता ने बोली जीतने के लिए अपने हिस्से के अनुसार धन जमा किया है। ईडी द्वारा अपनी जांच के दौरान ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया--- ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि याचिकाकर्ता किसी भी तरह से अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि (यहां रेत घोटाला) में शामिल था, जिसमें इसे छिपाना, कब्जा करना, अधिग्रहण या उपयोग करना और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना शामिल है---ईडी द्वारा याचिकाकर्ता को दिए गए "विश्वास करने का कारण" वाले बयान में यह मानने के लिए संतोषजनक सामग्री नहीं है कि याचिकाकर्ता पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का दोषी है---याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध घोषित---रिट की अनुमति है।
(पैरा- 58, 62, 65, 77)

(2023) 12 एससीसी 1

.....पर भरोसा किया

गया।

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक चौधरी

सी. ए. वी. निर्णय

दिनांक: 05-02-2025

1. निम्नलिखित राहतों के लिए तत्काल रिट याचिका दायर की गई हैः.

“(i) प्रवर्तन निदेशालय, पटना क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पंजीकृत दिनांक 04.06.2023 और 09.11.2023 के परिशिष्ट ई.सी.आई.आर के साथ पठित दिनांक 10.01.2022 के

ई.सी.आई.आर/पी.टी.जेड.ओ/07/2022 के संबंध में 28.09.2024 को याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी को पूरी तरह से अवैध और मनमाना प्रकृति का तथा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (जिसे आगे "पीएमएलए " कहा जाएगा) की धारा 19 का उल्लंघन घोषित करने के लिए उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के संबंध में।

(ii) यह माननीय न्यायालय निर्णय दे सकता है कि चूंकि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध है और पीएमएलए की धारा 19 का उल्लंघन है, इसलिए विद्वान विशेष न्यायालय, पीएमएलए, पटना द्वारा पारित रिमांड के परिणामी आदेश दिनांक 28.09.2024 और 05.10.2024 और याचिकाकर्ता की रिमांड बढ़ाने वाले भविष्य के अन्य सभी आदेश भी अवैध हैं।

(iii) याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत से तुरंत रिहा करने के लिए एक और उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

(iv) यह माननीय न्यायालय प्रत्यर्थी(ओं) प्राधिकरणों के अवैध और मनमाने कार्रवाइयों के कारण हुए हानि और क्षति के लिए याचिकाकर्ता को मुकदमे की लागत और उपयुक्त मुआवजा दे सकता है।

(v) कोई अन्य राहत या राहत प्रदान करना, जिसके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जात हो ।

2. इस रिट याचिका के निर्णय के लिए आवश्यक मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं:

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद संक्षेप में "मेसर्स एएमपीएल" के रूप में वर्णित) को 1 जनवरी, 2015 और 31 दिसंबर, 2019 के बीच की अवधि के दौरान औरंगाबाद और रोहतास जिले में रेत निकालने के लिए सभी रेत खदानों (घाटों) का निपटान करने की अनुमति दी गई थी। चार अलग-अलग अनुदानों द्वारा शुरू में पांच साल के लिए 30 सितंबर, 2021 तक दिए जाने के बाद उक्त समझौते को समय-समय पर बढ़ाया गया था। हालांकि, मेसर्स एएमपीएल ने 30 अप्रैल, 2021 को 1 मई, 2021 से अपने समझौते को सरेंडर कर दिया। खनन और भूवैज्ञानिक विभाग, बिहार

सरकार और मेसर्स एएमपीएल के बीच समर्पण अवधि के लिए रॉयल्टी के भुगतान और के-लाइसेंस स्थलों, यानी भंडारण स्थलों पर भंडारित रेत को बेचने के लिए मेसर्स एएमपीएल के अधिकार के संबंध में प्रारंभिक विवाद उत्पन्न हुआ। खनन और भूवैज्ञानिक विभाग ने क्रमशः 17 अगस्त, 2021 और 7 जुलाई, 2021 के आदेश के माध्यम से उक्त दो जिलों में मेसर्स एएमपीएल द्वारा प्राप्त के-लाइसेंस को रद्द कर दिया और मेसर्स एएमपीएल द्वारा भंडारित रेत को जब्त कर लिया। लाइसेंस रद्द करने और रेत की जब्ती के बाद, खनन विभाग से जुड़े अधिकारियों ने मेसर्स एएमपीएल के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज किए, जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी ने ई-ट्रान्जिट चालान जारी किए बिना के-लाइसेंस साइट पर स्टॉक की गई रेत का दुरुपयोग किया, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर, उक्त कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ 13 एफ. आई. आर. दर्ज किए गए थे। 2021 के डेहरी नगर पी. एस. मामला संख्या 407 के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय (इसके बाद संक्षेप में "ईडी" के रूप में संदर्भित) ने भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और 420 के तहत मेसर्स एएमपीएल और उसके निदेशकों द्वारा कथित रूप से किए गए अनुसूचित अपराध के लिए 10 जनवरी, 2022 को ईसीआईआर/पीटीजेडओ/07/2022 को दर्ज किया। ईडी द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त मामले का आधार यह है कि 2021 के डेहरी नगर पी. एस. केस नंबर 407 के वास्तविक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मेसर्स ए. एम. पी. एल. ने मेसर्स एएमपीएल ने 24,42,67,900/- रुपये मूल्य की रेत की हेराफेरी की है। जिला खनन कार्यालय, रोहतास द्वारा जारी दो के-लाइसेंस के तहत दो अलग-अलग स्थानों पर बालू का खनन किया गया। हालाँकि, इन संपत्तियों के अपराध से अर्जित होने का संदेह था। यह आगे आरोप लगाया गया है कि जिन स्थलों के संबंध में के-लाइसेंस दिया गया था, उनमें केवल 600000 घन फुट रेत निकाली/ भंडारित की जानी थी, लेकिन परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के अनुसार उक्त स्थलों में 7784350 घन फुट रेत का भंडारण किया गया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि लाइसेंस धारक के अधिकृत कर्मचारी/निदेशक ने बिना कोई पूर्व-भुगतान चालान जारी किए रेत को चुपके से बेच दिया और इस तरह सरकार को 24,42,67,900/- रुपये का नुकसान पहुंचाया। इस प्रकार, मेसर्स एएमपीएल ने कथित तौर पर अवैध खदानों द्वारा भारी मात्रा में धन जुटाया और उपर्युक्त राशि धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 (संक्षिप्तता के लिए "पीएमएलए") के तहत अपराध की आय थी। इसके बाद, 9 नवंबर, 2023 के एक अन्य परिशिष्ट के माध्यम से, मेसर्स एएमपीएल और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ बाद के 12 एफआईआर को ध्यान में

रखते हुए एक दूसरा ईसीआईआर दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता का नाम न तो एफ. आई. आर. में था और न ही वह रेत खनन व्यवसाय से जुड़ा था। याचिकाकर्ता को रेत निकालने के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया था और वह मैसर्स एएमपीएल के रेत व्यवसाय से किसी भी तरह से जुड़ा नहीं है। हालाँकि, जाँच के दौरान, याचिकाकर्ता को 27 अक्टूबर, 2023 को ईडी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था। याचिकाकर्ता ने ईडी के जांच अधिकारी को सूचित किया कि संबंधित समय पर वह देश से बाहर था। याचिकाकर्ता 25 सितंबर, 2024 को ईडी के समक्ष पेश हुआ और 9 सितंबर, 2024 के समन के अनुलग्नक-ए के तहत जांच अधिकारी द्वारा दावा की गई सभी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की। ”

3. इस स्तर पर यह उल्लेख करना उचित है कि 10 नवंबर, 2023 को ईडी ने जांच पूरी करने के बाद मैसर्स एएमपीएल और उसके निदेशकों जग नारायण सिंह और सतीश कुमार सिंह के खिलाफ पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत शिकायत प्रस्तुत की।

4. हालाँकि याचिकाकर्ता ने जाँच अधिकारी के साथ पूरा सहयोग किया, लेकिन फिर भी उसे 27/28 सितंबर, 2024 की देर रात को सूचित किया गया कि ईडी उन्हें दूसरे ईसीआईआर के संबंध में गिरफ्तार करेगा। 28 सितंबर, 2024 को प्रत्यर्थियों/ईडी ने विद्वान सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए, पटना के समक्ष याचिकाकर्ता की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। उन्हें समय-समय पर प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत या दूसरे शब्दों में न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता था।

5. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि ईडी ने याचिकाकर्ता को पीएमएलए की धारा 19 के आदेश का उल्लंघन करते हुए और मैसर्स एएमपीएल या किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग से अपराध की आय के संचय और रेत व्यवसाय के संबंध में उसकी भागीदारी के संबंध में कोई दस्तावेज एकत्र किए बिना गिरफ्तार किया। ईडी ने एक मामला बनाने की कोशिश की कि मैसर्स एएमपीएल रेत खनन व्यवसाय में एक सिंडिकेट चलाता था जिसमें याचिकाकर्ता और उसकी कंपनी सहित कई अन्य लोग और कंपनियां शामिल हैं। उक्त अवैध व्यवसाय के संबंध में उनके अलग-अलग शेयर थे। मैसर्स एएमपीएल के खिलाफ मामले की जांच से पता चला कि याचिकाकर्ता के पास

कथित रूप से रेत खनन के अवैध व्यवसाय में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी थी और उसके हिस्से के अनुसार याचिकाकर्ता के पक्ष में लेनदेन किया गया था। यह याचिकाकर्ता का विशिष्ट मामला है कि याचिकाकर्ता और मेसर्स एएमपीएल के बीच कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है। हालाँकि, याचिकाकर्ता मेसर्स एएमपीएल के निदेशकों में से एक जग नारायण सिंह के साथ व्यक्तिगत संबंध रखता है। जग नारायण सिंह और याचिकाकर्ता के बीच बैंक के माध्यम से व्यक्तिगत स्तर का कुछ मौद्रिक लेनदेन हुआ था और उक्त राशि को पहले ही बैंक के माध्यम से चुकाया जा चुका है। इसलिए, बैंकिंग संस्थान के माध्यम से लेनदेन की राशि को अपराध की आय नहीं कहा जा सकता है। उक्त राशि स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के आयकर विवरण में दिखाई गई थी और याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज ईसीआईआर अवैध, निष्क्रिय और उस पर बाध्यकारी नहीं थी। इस प्रकार, उक्त ईसीआईआर के आधार पर याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी ने अवैध और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने का दावा किया है।

6. इसलिए, तत्काल रिट।

7. श्री राजेंद्र नारायण, याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता, शुरुआत में प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को 2021 के डेहरी नगर पी. एस. मामला संख्या 407 में आरोपी के रूप में फंसाया नहीं गया है, जिसे आई. पी. सी. की धारा 411 और 402 के तहत डेहरी नगर पुलिस स्टेशन से जुड़ी पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। ईसीआईआर नं. पी. टी. जेड. ओ./07/2022, दिनांक 10 जनवरी, 2022 और परिशिष्ट ईसीआईआर, दिनांक 4 जून, 2023 में, उपरोक्त मामले की एफआईआर की सामग्री को संक्षेप में निम्नानुसार वर्णित किया गया है

(i) एफ. आई. आर. सं., 407/2021 दिनांक 03.08.2021 की जांच से पता चला कि लाइसेंस धारक मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत कर्मचारी/निदेशक ने लाइसेंस सं. के-रोहतास/07/2021 जिसका पता मौजा-मकरैन, मौजा नं-00, ब्लॉक-डेहरी थाना डालमिया नगर, जिला-रोहतास, खाता संख्या-112, खेसरा संख्या-408 और लाइसेंस संख्या के-रोहतास/14/2021 जिसका पता है-मौजा-मकरैन, मौजा नंबर-00, ब्लॉक-डेहरी, थाना डालमिया नगर, जिला-रोहतास, खाता No.-112, खेसरा No.-408 पर भारतीय दंड

संहिता की धारा 411 और 420 के तहत क्रमशः चोरी की संपत्ति और आपराधिक साजिश प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है, जो धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 के भाग ए, पैराग्राफ 1 के तहत निर्धारित हैं।

(ii) उपर्युक्त एफ. आई. आर. में, यह आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त दोनों लाइसेंस धारक स्थानों के निरीक्षण के दौरान, केवल 6,00,000 घन फुट रेत मिली थी। जबकि, पी.एम.यू. (परियोजना प्रबंधन इकाई) द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के अनुसार उक्त दोनों लाइसेंस धारक स्थानों पर 77,84,350 घन फुट रेत संग्रहीत है। उक्त एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि लाइसेंस धारक के प्राधिकृत कर्मचारी/निदेशक ने प्रीपेड ई-चालान जारी किए बिना ही बालू को चोरी-छिपे बेच दिया, जिससे बिहार सरकार के खजाने को 24,42,67,900 रुपये का नुकसान हुआ।

(iii) इसलिए, उपरोक्त से यह प्रतीत होता है कि मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अवैध तरीके से 71,84,350 घन फीट बालू जिसकी कीमत 24,42,67,900 रुपये है, गबन किया गया है, जो वर्ष 2002 तक अपराध की आय है और पीएमएलए, 2002 के दायरे में आता है।

8. एफ. आई. आर. से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता रेत लाइसेंस का पक्षकार नहीं है। वह रेत का व्यवसाय नहीं करता है।

9. श्री राजेन्द्र नारायण द्वारा एक प्रासंगिक प्रश्न उठाया गया है कि उक्त मामला, 2021 का डेहरी नगर पी. एस. मामला संख्या 407 होने के कारण इस न्यायालय द्वारा 7 अप्रैल, 2022 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था। आई. पी. सी. की धारा 411 और 420 के तहत मूल एफ. आई. आर. को रद्द करने पर, कोई अनुसूचित अपराध नहीं है और अनुसूचित अपराध के अभाव में, याचिकाकर्ता को पी. एम. एल. ए. अधिनियम के तहत किसी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों का मामला विशेष रूप से मेसर्स एएमपीएल के खिलाफ यह है कि उक्त कंपनी और उसके निदेशकों ने

रेत के अवैध खनन और ट्रांजिट चालान जारी किए बिना इसे बेचने के माध्यम से राज्य सरकार को 2109176276/- रुपये की राजस्व हानि पहुंचाई है। जांच के दौरान ईडी ने राधा चरण साह के घर से आयकर रिटर्न होने का दावा करने वाले कुछ दस्तावेज जब्त किए। औरंगाबाद और रोहतास में रेत की बिक्री से संबंधित आय और व्यय की एक बही भी जब्त की गई। उक्त खाता बही से यह पता चला कि एक सिंडिकेट मेसर्स एएमपीएल और अन्य लोगों द्वारा संचालित किया जा रहा था जो अपने बीच अपने हिस्से के अनुपात में लाभ वितरित करते थे। उदाहरण के लिए, मेसर्स एएमपीएल ने अप्रैल, 2020 से अगस्त, 2020 तक औरंगाबाद और रोहतास के बालू घाटों से 90,92,71,400/- रुपये का बालू बेचा और उक्त राशि में से 38,71,46,070/- रुपये का बालू बिना ई-ट्रांजिट चालान जारी किए बेच दिया।

11. आरोप है कि सिंडिकेट के सदस्य रेत खनन में लगे हुए थे और उन्होंने नकली संस्थाओं के माध्यम से नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया। एक डमी इकाई द्वारा बोली जीतने के बाद, प्रारंभिक रॉयल्टी भुगतान विभिन्न व्यक्तियों से धन खींचकर किया जाता है। वास्तविक खनन को सिंडिकेट द्वारा नियंत्रित किया जाता है और रेत के अवैध खनन से उत्पन्न लाभ को सिंडिकेट के सदस्यों के बीच विभाजित किया जाता है। अवैध खनन से कथित लाभ को अपराध की आय होने का दावा किया जाता है। एक सिंडिकेट सदस्य मिथलेश कुमार ने अपने बयान में कहा कि याचिकाकर्ता/अजय सिंह सिंडिकेट का हिस्सा हैं, जिसकी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी है। याचिकाकर्ता की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एस. जी. प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद एस. जी. पी. एल. के रूप में वर्णित) के बैंक खातों के विवरण के अवलोकन पर, उक्त कंपनी और मेसर्स ए. एम. पी. एल. के बीच भारी वित्तीय लेनदेन पाया गया। उक्त राशि रु। 1 करोड़ 34 लाख, लगभग मेसर्स एएमपीएल को ऋण देने वाले गैर-ब्याज लेनदेन हैं। ईडी का यह भी आरोप है कि विनय विनिमय प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते से मेसर्स एएमपीएल को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई थी। ईडी द्वारा यह दावा किया गया है कि उक्त राशि मेसर्स एएमपीएल को ऋण के रूप में हस्तांतरित की गई थी, लेकिन ईडी द्वारा उनके दावे के समर्थन में कोई सहायक दस्तावेज दायर नहीं किए गए हैं।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे बताया है कि मेसर्स एएमपीएल और मेसर्स एसजीपीएल के बीच कुछ मौद्रिक लेनदेन हैं जो दो कंपनियों के बीच वित्तीय संबंधों के संबंध में संदिग्ध परिस्थितियों को प्रकट करते हैं। याचिकाकर्ता की

ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार दोनों कंपनियों के बीच उपर्युक्त वित्तीय लेनदेन संक्षेप में यह मानने का कारण है कि याचिकाकर्ता बिहार में रेत खनन घोटाले में सक्रिय सिंडिकेट का हिस्सा है और इस तरह धारा 411 और 420 के तहत अपराध करके भारी मात्रा में "अपराध की आय" अर्जित कर रहा है। आईपीसी की धारा 120बी के साथ। यह भी बताया गया है कि उपरोक्त तथ्य याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी का आधार बनते हैं।

13. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (पी) में बताए गए धन शोधन की परिभाषा का उल्लेख किया है। इसमें कहा गया हैः.

"2(1)(पी) मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ धारा 3 में निर्दिष्ट अर्थ है। "

14. धारा 2 (1) (यू) "अपराध की आय" को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करती हैः.

"2(1)(यू) "अपराध की आय" का अर्थ है किसी अनुसूचित अपराध या ऐसी संपत्ति के मूल्य से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की गई कोई संपत्ति या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली जाती है या रखी जाती है, तो देश के भीतर या विदेश में रखी गई मूल्य के बराबर संपत्ति;

स्पष्टीकरण। —संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "अपराध की आय" में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त या प्राप्त संपत्ति शामिल है, बल्कि ऐसी कोई भी संपत्ति भी शामिल है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की जा सकती है। "

15. धारा 3 धन शोधन के अपराध को परिभाषित करती है। यह प्रावधान इस प्रकार हैः.

"3. जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिस होने या जानबूझकर सहायता करने का प्रयास करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है, जिसमें इसे छिपाना, कब्जा करना, अधिग्रहण या उपयोग करना और इसे

बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना शामिल है, वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा।

स्पष्टीकरण। —संदेहों को दूर करने के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि-

(i) कोई व्यक्ति धन शोधन के अपराध का दोषी होगा यदि ऐसा व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में अपराध की आय से जुड़ी निम्नलिखित प्रक्रियाओं या गतिविधियों में से एक या अधिक में शामिल है, अर्थात्:—

(क) छिपाना; या

(ख) कब्जा करना; या

(ग) अधिग्रहण; या

(घ) उपयोग; या

(ई) बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना; या

(च) किसी भी तरह से बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना;

(ii) अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि एक निरंतर गतिविधि है और तब तक जारी रहती है जब तक कि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय का आनंद उसे छिपाकर या कब्जा करके या अधिग्रहण करके या उसका उपयोग करके या उसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करके या किसी भी तरह से बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करके ले रहा हो। ”

16. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे उक्त अधिनियम की धारा 19 में निहित प्रावधान का उल्लेख किया है जो गिरफ्तारी की शक्ति की बात करता है। धारा 19 में इस प्रकार कहा गया है :

“धारा 19:- गिरफ्तार करने की शक्ति।

1) यदि निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक या केंद्र सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के पास सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण रखता है (ऐसे विश्वास का कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए) कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है, तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और यथाशीघ्र उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देगा।

(2) निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक या कोई अन्य अधिकारी, उप-धारा (1) के तहत ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद, उस उप-धारा में निर्दिष्ट अपने कब्जे में सामग्री के साथ आदेश की एक प्रति, न्यायिक प्राधिकरण को एक सीलबंद लिफाफे में, उस तरीके से, जो निर्धारित किया जाए, भेजेगा और ऐसा न्यायिक प्राधिकरण ऐसी अवधि के लिए ऐसा आदेश और सामग्री रखेगा, जैसा कि निर्धारित किया जाए।

(3) उप-धारा (1) के तहत गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को चौबीस घंटे के भीतर, [विशेष न्यायालय या] न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, के पास ले जाया जाएगा, जिसकी अधिकारिता होगी:

बशर्ते कि चौबीस घंटे की अवधि में गिरफ्तारी के स्थान से [विशेष न्यायालय या] मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं होगा। ”

17. उपरोक्त प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि ईडी अवैध रेत खनन, खनिक और खनिज की चोरी, रेत को चोरी की संपत्ति के रूप में प्राप्त करने या मेसर्स एएमपीएल के साथ आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने में धोखाधड़ी के आरोप के संबंध में याचिकाकर्ता और मेसर्स एएमपीएल के बीच कोई सांठगांठ साबित करने में विफल रहा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता या उनकी कंपनी ने औरंगाबाद और रोहतास में रेत घाटों की नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया था। मेसर्स एएमपीएल और अजय सिंह के बीच मौद्रिक

लेन-देन से यह साबित नहीं होता है कि उक्त लेन-देन गुप्त तरीके से रेत खरीदने के लिए किया गया था। दूसरी ओर, यह पता चला है कि बैंक के माध्यम से मेसर्स एएमपीएल को कुछ राशि का भुगतान किया गया था और याचिकाकर्ता को बैंक के माध्यम से भी इतनी ही राशि का भुगतान किया गया था। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने रिट याचिका के पृष्ठ 140 से 147 का उल्लेख किया है।

18. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को बाद में ईसीआईआर द्वारा ईडी द्वारा स्थापित मामले में फंसाया गया है, जिसे मिथलेश कुमार की खाता पुस्तिका में तथाकथित प्रविष्टियों के आधार पर परिशिष्ट ईसीआईआर कहा जाता है। कुछ खाली पत्रकों में निहित खाता बही में उक्त प्रविष्टियों का उपयोग याचिकाकर्ता के खिलाफ एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में यह अभिनिर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है जिससे यह माना जा सके कि याचिकाकर्ता उक्त अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है।

19. अपने तर्क के समर्थन में याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने 1998 3 एससीसी 410 में रिपोर्ट किए गए केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम वी. सी. शुक्ला एवं अन्य के पैराग्राफ संख्या 15 का हवाला दिया है। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पैराग्राफ नं. उक्त निर्णय का 15 निम्नानुसार हैः.

“15. यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि दस्तावेज न तो लेखा बही थे और न ही व्यापार के नियमित पाठ्यक्रम में रखे गए थे, उच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही वे धारा 34 के तहत स्वीकार्य थे, लेकिन धारा की स्पष्ट भाषा को देखते हुए, वे उस व्यक्ति के सिर पर दायित्व को मजबूत करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जिसके खिलाफ उनका उपयोग करने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने स्वीकार किया कि डायरियों और खुले पत्रों में कथित प्रविष्टियों के अलावा कोई अन्य सबूत नहीं था, जिसमें कहा गया था कि प्रविष्टियां अभियोजन पक्ष के मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगी। धारा 10 के तहत दस्तावेजों की स्वीकार्यता के संबंध में, उच्च न्यायालय ने माना कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री यह मानने के लिए उचित आधार नहीं देती है कि कोई साजिश मौजूद थी, और यह तो और भी कम है कि प्रतिवादी उसमें पक्ष थे और इसलिए, ये दस्तावेज धारा

10 के तहत भी स्वीकार्य नहीं होंगे। इसके बाद उच्च न्यायालय ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या उन दस्तावेजों को धारा 17 के तहत स्वीकार किया जा सकता है और कहा कि यदि कोई प्रवेश है, तो उसका उपयोग केवल जैन के खिलाफ किया जा सकता है, न कि श्री आडवाणी और श्री शुक्ला के खिलाफ। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि दस्तावेजों को प्रस्तुत करना और उनका प्रमाण स्वयं उनकी सामग्री की सच्चाई का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करेगा और जाँच के दौरान सी. बी. आई. ने किसी भी गवाह की जाँच नहीं की या इसे साबित करने के लिए सामग्री एकत्र नहीं की। उपरोक्त निष्कर्षों और टिप्पणियों के साथ, उच्च न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा:

“वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कथित भुगतान (एम. आर. 68/91, 72/91 और 73/91 के माध्यम से) के संबंध में डायरी, नोटबुक और खुले पत्र के अलावा कोई सबूत नहीं है। उक्त साक्ष्य ऐसी प्रकृति का है जिसे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कानूनी सबूत में नहीं बदला जा सकता है, जैसा कि मैंने ऊपर चर्चा की है।

जैनों द्वारा संवितरण के उद्देश्य से कथित रूप से प्राप्त धन के संबंध में तत्काल मामले में कोई सबूत नहीं है। राशि के वितरण के संबंध में कोई सबूत नहीं है। फिर इस तथ्य के संबंध में कोई सबूत नहीं है जो प्रथम दृष्टया साबित करता है कि याचिकाकर्ताओं अर्थात् श्री एल. के. आडवाणी और श्री वी. सी. शुक्ला ने कथित राशियों को किसी भी व्यक्ति का पक्ष लेने या उसका अनादर करने के उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में स्वीकार किया और यह कि उक्त अनुग्रह और अनादर अधिनियम (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988) की धारा 7 के अनुसार लोक सेवकों के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दिखाए गए थे। इस प्रकार न्यायालय को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय करने के लिए इसके संबंध में किसी भी साक्ष्य के अभाव में उपरोक्त सभी तथ्यों को मानना होगा। ”

20. इस प्रकार, याचिकाकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य

अधिनियम की धारा 10 के तहत साक्ष्य में कुछ खुले पत्रों या कुछ लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियां स्वीकार्य नहीं हैं।

21. साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 निम्नानुसार हैः.

“10. साजिशकर्ता द्वारा सामान्य इरादे के संदर्भ में कही या की गई बातें।

जहां यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने एक साथ किसी अपराध या कार्रवाई योग्य गलत को करने की साजिश रची है, तो ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा उनके सामान्य इरादे के संदर्भ में कुछ भी कहा, किया या लिखा गया है, उस समय के बाद जब ऐसा इरादा पहली बार उनमें से किसी एक द्वारा माना गया था, तो यह एक प्रासंगिक तथ्य है जो उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के खिलाफ है जो इस तरह की साजिश कर रहे थे, साथ ही साजिश के अस्तित्व को साबित करने के उद्देश्य से और यह दिखाने के उद्देश्य से कि ऐसा कोई व्यक्ति इसमें एक पक्ष था। ”

22. सरदूल सिंह कवीशर बनाम बॉम्बे राज्य, ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 747 में सूचित मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित प्राधिकरण पर मान्यता प्राप्त है कि एक सह-षड्यंत्रकारी के बयानों, कृत्यों और लेखन के साक्ष्य के स्वागत में अंतर्निहित सिद्धांत दूसरे के विपरीत एजेंसी के सिद्धांत पर है। आम तौर पर, किसी व्यक्ति को दूसरों के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि वे उसके द्वारा उकसाया नहीं गया हो या उसकी जानकारी या सहमति से नहीं किया गया हो।

23. यह धारा नियम को एक अपवाद प्रदान करती है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि षड्यंत्रकारियों में से किसी एक द्वारा किया गया प्रत्यक्ष कार्य उसे सभी का कार्य बनाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन फिर, धारा के आरंभिक शब्दों ने यह स्पष्ट कर दिया कि अभिकरण की ऐसी अवधारणा का लाभ तभी उठाया जा सकता है, जब न्यायालय संतुष्ट हो जाए कि यह मानने के लिए उचित आधार है कि उन्होंने कोई अपराध या कार्रवाई योग्य गलत कार्य करने की साजिश रची है। दूसरे शब्दों में, केवल तभी जब इस तरह का उचित आधार बाहर निकलता है, उसके बाद उनके सामान्य इरादे के संदर्भ

में उनमें से किसी एक द्वारा कहा गया, किया गया या लिखा गया कुछ भी दूसरों के खिलाफ प्रासंगिक है, न केवल साजिश के अस्तित्व के उद्देश्य के लिए बल्कि यह साबित करने के लिए भी कि दूसरा व्यक्ति इसमें एक पक्ष था।

24. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि यदि अभियोजन पक्ष के मामले को इसके अंकित मूल्य में माना जाता है, तो मेसर्स एएमपीएल और मेसर्स एसजीपीएल के बीच साजिश थी। जांच अधिकारी औरंगाबाद और रोहतास जिलों में अवैध रूप से रेत खनन चलाने की साजिश के परिणामस्वरूप मौद्रिक लेनदेन को साबित करने के लिए मेसर्स एएमपीएल या मेसर्स एसजीपीएल या उसके निदेशकों से कोई दस्तावेज एकत्र करने में विफल रहे। ईडी ने मिथलेश कुमार द्वारा रखे गए एक तथाकथित खाते पर भरोसा किया, जिसके साथ याचिकाकर्ता का कोई व्यावसायिक संबंध नहीं था। इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता और उक्त मिथलेश कुमार ने अपराध की आय से निपटने के लिए साजिश रची थी। इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ मिथलेश कुमार का बयान बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।

25. इसी बिंदु पर, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने **कॉमन कॉज/मनोहर लाल शर्मा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय का हवाला दिया, जिसकी रिपोर्ट (2017) 11 एससीसी 731 में दी गई। पैराग्राफ संख्या 276 से 278 में निहित चर्चाएं हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं और नीचे उद्धृत की गई हैं:-

“276. सी. बी. आई. बनाम वी. सी. शुक्ला [सी. बी. आई. बनाम वी. सी. शुक्ला, (1998) 3 एस. सी. सी. 410:1998 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 761], यह प्रस्तुत किया गया था कि यह किसी भी बेईमान व्यक्ति के लिए किसी भी समय किसी के नाम के खिलाफ किसी भी कागज या कंप्यूटर एक्सेल शीट पर एकतरफा रूप से कोई भी प्रविष्टि करने के लिए खुला है। भुगतान के संबंध में कोई और पुष्टिकारक सामग्री नहीं होने के कारण, जांच का निर्देश देने के लिए कोई मामला नहीं बनाया जाता है, और वह भी दस्तावेजों में नामित बड़ी संख्या में व्यक्तियों के खिलाफ। इस तरह की प्रविष्टियों को प्रथम दृष्टया वी. सी. शुक्ला मामले में भी स्वीकार्य नहीं माना गया है [सी. बी. आई. बनाम वी. सी. शुक्ला, (1998) 3 एस. सी. सी. 410:1998 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 761] उन्होंने आग्रह किया कि यदि

ऐसे दस्तावेजों के आधार पर जांच का आदेश दिया जाता है, तो यह बहुत खतरनाक होगा और कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी/अधिकारी संवैधानिक अनिवार्यताओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता है।

277. आवेदन में उठाए गए मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने से पहले हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने प्रतिवादी 2 और 3 की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली मुख्य रिट याचिकाओं की जांच नहीं की है। हम केवल आई. ए. सं. 4 द्वारा समर्थित आई. ए. सं. 3 की योग्यता की जांच कर रहे हैं, कि क्या एस. आई. टी. का गठन करने और विभिन्न कार्यकारियों/अधिकारियों के खिलाफ प्रत्यक्ष जांच करने के लिए, जो अनुलग्नक ए-8, ए-9 और ए-10 में प्रस्तावित हैं, और अन्य प्रविष्टियां जो खुली शीट्स पर हैं और आगे उनकी निगरानी करने के लिए, जो सामग्री रिकॉर्ड पर रखी गई है, उसके आधार पर कोई मामला बनाया गया है या नहीं।

278. अभिलेख पर रखी गई सामग्री के संबंध में, यह न्यायालय वी. सी. शुक्ला मामले में [सी. बी. आई. बनाम वी. सी. शुक्ला, (1998) 3 एस. सी. सी. 410:1998 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 761] ने मामले को निपटाया है, हालांकि आरोपमुक्त होने के स्तर पर जब जांच पूरी हो चुकी थी, लेकिन यह इस मामले के निर्णय के उद्देश्य के लिए भी प्रासंगिक इस न्यायालय ने जैन हवाला डायरी, नोटबुक और कागजों की ढीली शीट वाली फाइल में प्रविष्टियों पर विचार किया है जो "खातों की पुस्तकों" के रूप में नहीं हैं और माना है कि ढीले कागजों/शीटों में ऐसी प्रविष्टियाँ अप्रासंगिक हैं और साक्ष्य अधिनियम की धारा 34 के तहत स्वीकार्य नहीं हैं, और केवल जहां प्रविष्टियाँ लेखा बहियों में की जाती हैं, व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर नियमित रूप से रखी जाती हैं, वे स्वीकार्य हैं। "

26. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध में आरोपी को शामिल करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन है। चूँकि ई. सी. आई. आर. एफआईआर. के समतुल्य था, इसलिए ई. सी. आई. आर. में गिरफ्तारी के आधार, अपराध का विवरण आदि शामिल हैं और ऐसे दस्तावेज के अवयवों की जानकारी के बिना, जमानत के स्तर पर

अपना बचाव करने की अभियुक्त की क्षमता को पूरी तरह से महसूस नहीं किया जा सकता है। यह आग्रह किया गया था कि यह बाद के चरण में परीक्षण की क्षमता में भी बाधा डाल सकता है। यही कारण है कि पी. एम. एल. ए. की धारा 19 के तहत पर्याप्त सुरक्षा उपाय थे, जिसने शिकायत का गठन करने वाला प्रावधान बनाया।

27. धारा 19 (1) निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को किसी व्यक्ति को उसके कब्जे में मौजूद सामग्री के आधार पर गिरफ्तार करने का अधिकार देती है, जब उसके पास "विश्वास करने का कारण" (ऐसे विश्वास का कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाना है) हो कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है।

28. "विश्वास करने का कारण" शब्द का बहुत प्रभाव है और गिरफ्तारी अधिकारी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के प्रारंभिक चरण में यह स्थापित करने के लिए बाध्य है कि उसके पास पर्याप्त सामग्री है जिसमें "विश्वास करने का कारण" है कि व्यक्ति अधिनियम के तहत दोषी है।

29. 12 जुलाई, 2024 को तय अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय (आपराधिक अपील संख्या 2493/2024) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पीएमएलए की धारा 19 की विभिन्न बारीकियों से निपटने का अवसर मिला। अरविंद केजरीवाल (सुप्रा) के पैराग्राफ संख्या 9 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है:-

"9. इस धारा को केवल पढ़ने से पता चलता है कि जबकि विधायिका ने निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक या एक अधिकृत अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति दी है, यह पूर्व शर्तों और आवश्यकताओं से घिरा हुआ है, जिन्हें किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले पूरा किया जाना चाहिए। शर्तें इस प्रकार हैं -

=> अधिकारी के पास सामग्री होनी चाहिए।

=> ऐसी सामग्री के आधार पर, प्राधिकृत अधिकारी को लिखित रूप में यह विश्वास करने के कारण बनाने और दर्ज करने चाहिए कि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति पीएमएल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है।

=> गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

ये पूर्व शर्तें व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कड़े सुरक्षा उपायों के रूप में कार्य करती हैं। "

30. इसी मुद्दे पर, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने पंकज बंसल बनाम भारत संघ और अन्य के पैराग्राफ संख्या 38 का संदर्भ दिया जो की (2024) 7 एससीसी 576 में रिपोर्ट की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (1) के संदर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 19 की व्याख्या करते हुए कहा, "इस संबंध में, हम ध्यान दे सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 22 (1) में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में जल्द से जल्द सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा। यह गिरफ्तार व्यक्ति को गारंटीकृत मौलिक अधिकार होने के कारण, गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी देने का तरीका आवश्यक रूप से सार्थक होना चाहिए ताकि इच्छित उद्देश्य को पूरा किया जा सके। यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 45 पी. एम. एल. ए. धारा 19 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत पर रिहाई की मांग करने में सक्षम बनाती है, लेकिन यह मानती है कि जब तक इसके तहत निर्धारित दोहरी शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तब तक ऐसा व्यक्ति जमानत देने का हकदार नहीं होगा। प्रावधान में निर्धारित दोहरी शर्तें यह हैं कि, सबसे पहले, लोक अभियोजक को रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर देने के बाद, न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि गिरफ्तार व्यक्ति अपराध का दोषी नहीं है और दूसरा, कि जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, गिरफ्तार व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उन आधारों से अवगत हो जिनके आधार पर अधिकृत अधिकारी ने उसे धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया और अधिकारी के "विश्वास करने के कारण" के आधार पर कि वह 2002 के अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है। यह केवल तभी है जब गिरफ्तार व्यक्ति को इन तथ्यों की जानकारी हो कि वह विशेष न्यायालय के समक्ष अभिवचन करने और साबित करने की स्थिति में होगा कि यह विश्वास करने के लिए आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है, ताकि जमानत की राहत का लाभ उठाया जा सके। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 22 (1) और धारा 19 पी. एम. एल. ए. द्वारा अनिवार्य गिरफ्तारी के आधारों का

संचार इस उच्च उद्देश्य को पूरा करने के लिए है और इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

31. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा की गई प्रस्तुति से यह पता चला है कि याचिकाकर्ता ने प्रासंगिक जानकारी को रोक दिया जो पूरी तरह से उसके ज्ञान में थी और तर्क दिया कि उसके पिता के समय से मेसर्स एएमपीएल के निदेशकों में से एक जग नारायण सिंह के साथ उसके पारिवारिक संबंध थे और याचिकाकर्ता और मेसर्स एएमपीएल के बीच जो धन का लेन-देन हुआ वह मैत्रीपूर्ण उधार है।

32. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि यह न्यायालय तथ्यों के विवरण के आधार पर आगे बढ़ता है, तो यह स्पष्ट रूप से पाया जाएगा कि याचिकाकर्ता द्वारा मेसर्स एएमपीएल के पक्ष में बैंक लेनदेन के माध्यम से धन के आदान-प्रदान के अलावा, जांच अधिकारी द्वारा कोई अन्य दस्तावेज जब्त नहीं किया जा सकता है। दो कंपनियों के बीच मौद्रिक लेन-देन से यह मानने का कारण नहीं बनता है कि याचिकाकर्ता पीएमएलए के तहत दोषी है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को फंसाने वाले सह-अभियुक्त के बयान या याचिकाकर्ता के आत्म-निंदात्मक बयान का भी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत भौतिक तथ्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। अपने इकबालिया बयान का उपयोग करना संवैधानिक जनादेश के साथ-साथ साक्ष्य के कानून का घोर उल्लंघन है।

33. इस मामले में, मिथलेश कुमार का बयान एक अन्य व्यक्ति, यानी याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए लिया गया है। इसी तरह, ईडी द्वारा यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज दायर नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता ने रेत खनन घोटाले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।

34. इसलिए, याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और इसे रद्द किया जा सकता है।

35. माननीय सर्वोच्च के पंकज बंसल बनाम भारत संघ और अन्य मामले में न्यायालय ने (2024) 7 एस. सी. सी. 576 में रिपोर्ट किए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए, याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि ईडी द्वारा उसके सामने रखे गए प्रश्न का उत्तर देने में याचिकाकर्ता की विफलता अपने आप में जांच अधिकारी के लिए यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी कि वह धारा 19 के तहत गिरफ्तार

होने के लिए उत्तरदायी था, क्योंकि उक्त प्रावधानों में विशेष रूप से उसे यह मानने का कारण खोजने की आवश्यकता थी कि वे उक्त अधिनियम के तहत एक अपराध के दोषी थे। पी. एम. एल. ए. की धारा 50 के तहत जारी समन के जवाब में केवल एक गवाह को शामिल न करना उसे धारा 19 के तहत गिरफ्तार किए जाने के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

36. ईडी ने कहा कि याचिकाकर्ता प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने में टालमटोल कर रहा था। हालाँकि यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि याचिकाकर्ता के जवाबों को टालमटोल के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया था और उस रिकॉर्ड को सत्यापन के लिए इस न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया है। याचिकाकर्ता द्वारा टालमटोल जवाब, जैसा कि ईडी द्वारा आरोप लगाया गया है, उसकी गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता है।

37. सहायक निदेशक, ईडी, पटना क्षेत्रीय कार्यालय ने प्रतिवादियों की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया है। प्रत्यर्थियों की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि मैसर्स एएमपीएल के खिलाफ बिहार राज्य के औरंगाबाद और रोहतास जिलों में स्थित विभिन्न पुलिस थानों में 24 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, जिसमें अवैध खनन, परिवहन, भंडारण और भारी मात्रा में रेत की बिक्री का आरोप लगाया गया है, जिससे बिक्री के कारण 210,91,76,276 रुपये का राजस्व नुकसान होने का आरोप लगाया गया है। उक्त शिकायतों के आधार पर, पुलिस ने बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019 के दंडात्मक प्रावधानों के तहत विशिष्ट मामले दर्ज किए और उपरोक्त कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 411, 420, 120बी, 384 और 467 के तहत अनुसूचित अपराध दर्ज किए। ईडी ने पीएमएलए की अनुसूची के भाग ए में पैराग्राफ नंबर 1 के तहत ईसीआईआर दर्ज करके जांच शुरू की। फिर से देहरी नगर पी.एस. मैसर्स एएमपीएल के खिलाफ आईपीसी की धारा 34, 120बी, 379, 384, 406, 411, 420, 467, 468 और 471 के तहत अपराध के लिए 3 अगस्त, 2021 को मामला संख्या 407/2021 दर्ज किया गया, साथ ही खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (2015) के नियम 21, बिहार लघु खनिज रियायत नियम, 1972 के नियम 40, बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019 के नियम 11, 39 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत मामला संख्या 407/2021 दर्ज किया गया,

मेसर्स एएमपीएल और उसके निदेशकों के खिलाफ 10 जनवरी, 2022 को ईसीआईआर दर्ज करने के बाद जांच शुरू की गई, साथ ही परिशिष्ट दिनांक 10 जनवरी, 2022 को ईसीआईआर दर्ज की गई। मैसर्स एएमपीएल और उसके निदेशकों के खिलाफ ईसीआईआर, दिनांक 10 जनवरी, 2022 को 4 जून, 2023 और 9 नवंबर, 2023 को उपर्युक्त ईसीआईआर के परिशिष्ट के साथ पढ़ने के बाद एक जांच शुरू की गई थी। के-लाइसेंस के माध्यम से कंपनी को आवंटित रेत के भंडारण स्थलों की जांच और भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि विभिन्न स्थलों पर बड़ी मात्रा में रेत का भंडार उपलब्ध था, हालांकि वेबसाइट में रेत का भंडार "शून्य" दिखाया गया था। ईडी ने मेसर्स एएमपीएल, इसके निदेशकों और अन्य शेयरधारकों के परिसरों से 6,85,77,580/- रुपये के विभिन्न दस्तावेज सावधि जमा बरामद किए और 24,60,000/- रुपये नकद जब्त किए। जाँच के दौरान पता चला कि आयकर विभाग, पाटन ने फरवरी, 2023 के महीने में मेसर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अशोक कुमार, सुदामा कुमार (अशोक कुमार के एक सहयोगी) और राधा चरण साह (अवैध रेत खनन के सिंडिकेट सदस्यों में से एक) के परिसरों में तलाशी ली। आई. टी. विभाग द्वारा जब्त किए गए दस्तावेज पी. एम. एल. ए. की धारा 54 के तहत प्राप्त किए गए थे।

38. उत्तरदाताओं की ओर से आगे यह तर्क दिया जाता है कि राधा चरण साह और अशोक कुमार के परिसरों से जब्त किए गए दस्तावेजों में औरंगाबाद और रोहतास, बिहार के विभिन्न घाटों से रेत की बिक्री से संबंधित आय और व्यय का विवरण और सिंडिकेट सदस्यों के बीच लाभ साझा करने के प्रतिशत का विवरण शामिल है। उक्त दस्तावेजों में दर्ज प्रविष्टियों की पुष्टि मेसर्स एएमपीएल और अन्य के बैंक खाते के माध्यम से किए गए लेनदेन से की गई थी।

39. खाता बही से पता चला कि अप्रैल, 2020 से अगस्त, 2020 की अवधि के दौरान 38,71,46,070 रुपये मूल्य की रेत बिना चालान बनाए अवैध रूप से बेची गई, जिससे सरकारी खजाने को राजस्व का नुकसान हुआ।

40. उत्तरदाताओं की ओर से आगे कहा गया है कि पीएमएलए की धारा 66 (2) के तहत जानकारी खनन विभाग, बिहार के साथ डीजीपी, बिहार पुलिस को एक प्रति के साथ साझा की गई थी। उक्त सूचना के आधार पर, खनन विभाग ने राज्य पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज की और तदनुसार पुलिस द्वारा 8 फरवरी, 2024 को डेहरी नगर पुलिस स्टेशन में एफ. आई. आर. संख्या 6137017240047 के साथ-साथ डेहरी नगर पी.

एस. मामला संख्या 5125024240115 13 फरवरी, 2024 को मेसर्स ए. एम. पी. एल. के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 420 और 379 के तहत अपराध करने के लिए दर्ज किया गया। हालांकि, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 7 अक्टूबर, 2024 के आदेश के तहत उक्त एफआईआर को रद्द कर दिया था। उपर्युक्त मामलों की जांच से पता चला कि विभिन्न कंपनियों द्वारा रेत की अवैध बिक्री मुख्य रूप से सिंडिकेट द्वारा नियंत्रित की जाती थी, जिसमें याचिकाकर्ता एक सदस्य होता है जो बैंकिंग या गैर-बैंकिंग चैनलों के माध्यम से कंपनी में धन का निवेश करके सिंडिकेट सदस्य बन जाता है और रेत की अवैध बिक्री से उत्पन्न लाभ अपराध की आय के अलावा और कुछ नहीं है जो सिंडिकेट सदस्यों के बीच वितरित की जाती थी। चूंकि याचिकाकर्ता और मेसर्स एएमपीएल के बीच मौद्रिक लेनदेन हुआ था, इसलिए उनका बयान 25 सितंबर, 2024 से 27 सितंबर, 2024 तक पीएमएलए की धारा 50 (3) के तहत दर्ज किया गया था। पी. एम. एल. ए. की धारा 50 (3) के तहत याचिकाकर्ता का आगे का बयान तब दर्ज किया गया जब वह 6 अक्टूबर, 2024 से 11 अक्टूबर, 2024 तक ईडी की हिरासत में था। राधा चरण साह से बरामद खाता पुस्तिका का याचिकाकर्ता से सामना किया गया था, लेकिन वह मेसर्स एएमपीएल और उनके बीच हुए लेन-देन के संबंध में कोई विशिष्ट स्पष्टीकरण देने में विफल रहे। खाता बही में याचिकाकर्ता के साथ-साथ अन्य लोगों का नाम सिंडिकेट सदस्यों के रूप में था और उनके नाम के खिलाफ लाभ बंटवारे का प्रतिशत भी था। याचिकाकर्ता को 28 सितंबर, 2024 को ईडी द्वारा पीएमएलए की धारा 19 की ठोस और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। आगे की जांच से पता चला कि याचिकाकर्ता अपराध की आय को साझा करने में सीधे तौर पर शामिल है। वह अवैध रेत खनन व्यवसाय से निपटने वाले सिंडिकेट सदस्यों में से एक है क्योंकि उसने उक्त व्यवसाय में आनुपातिकता का निवेश किया था। अजय सिंह के स्वामित्व वाली दो कंपनियों मेसर्स एस. जी. पी. एल. और विनय विनय प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों के विवरण से पता चलता है कि उन्होंने रु. वर्ष के दौरान 10.63 करोड़, यानी बोली राशि के 10 प्रतिशत के बराबर, सिंडिकेट में उनकी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी की पुष्टि करता है। अवैध रेत खनन से उत्पन्न अपराध की आय को मेसर्स एएमपीएल द्वारा सिंडिकेट के माध्यम से उसे वितरित किया गया था। मेसर्स एस. जी. पी. एल. के बैंक खाते के विश्लेषण से पता चला कि कुल रु. वर्ष 2016-2021 के दौरान इसके खाते में 29.3 करोड़ रुपये थे।

41. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने घटना का अवलोकन प्रदान करने के लिए जवाबी हलफनामे में उत्तरदाताओं की ओर से किए गए उपरोक्त कथनों पर व्यावहारिक रूप से भरोसा किया। उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि रेत घोटाले का सिंडिकेट काम कर रहा है।

42. रेत घाटों की निविदा की पूरी प्रक्रिया सिंडिकेट के नियंत्रण में है। मैसर्स एएमपीएल, राधा चरण साह, अशोक कुमार, वर्तमान याचिकाकर्ता और अन्य उक्त सिंडिकेट के सदस्य हैं और रेत का अवैध व्यापार सिंडिकेट सदस्यों द्वारा संचालित किया जाता था और वे अपने हिस्से के अनुसार अपराध की आय प्राप्त करते थे। मैसर्स एएमपीएल और ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड रेत के अवैध व्यापार में शामिल दो प्रमुख कंपनियां हैं। ई. डी. ने मैसर्स ए. एम. पी. एल. और उसके निदेशकों के खिलाफ उनके द्वारा निर्धारित अपराध करने का आरोप लगाते हुए 24 प्राथमिकियां दर्ज किए जाने के बाद शिकायत दर्ज की। मामलों की जांच के दौरान, ईडी ने कथित तौर पर राधा चरण साह के कब्जे से जब्त की गई खाता पुस्तिका और आयकर विभाग द्वारा छापे के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों के आधार पर वर्तमान याचिकाकर्ता और अन्य की मिलीभगत पाई और इसलिए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

43. विद्वान ए. एस. जी. द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री एक मिथलेश कुमार के बयान और ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों से मिली थी। याचिकाकर्ता से लगातार तीन दिनों तक पूछताछ की गई लेकिन वह अपने खिलाफ एकत्रित परिस्थितियों को स्पष्ट करने में विफल रहा और इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

44. विद्वान ए. एस. जी. द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि ईडी के समक्ष वर्तमान याचिकाकर्ता का बयान प्रथम दृष्टया इस आधार पर स्वीकार्य है कि ऐसा बयान उनके द्वारा गिरफ्तारी से पहले दिया गया था। विद्वान ए. एस. जी. द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2015-2021 के दौरान, याचिकाकर्ता के खाते में 21 करोड़ रुपये नकद जमा किए गए। इसके बाद राधा चरण साह द्वारा रखी गई खाता बही में 38 लाख रुपये नकद जमा किए गए और मैसर्स एएमपीएल और याचिकाकर्ता के बीच रेत व्यवसाय में याचिकाकर्ता के हिस्से के अनुसार मौद्रिक लेनदेन दर्ज किया गया है। आयकर विभाग द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों में याचिकाकर्ता की रेत घोटाले में संलिप्तता भी दिखाई देती

है। ये "विश्वास करने का कारण" हैं जो गिरफ्तारी अधिकारी के पास था कि याचिकाकर्ता पीएमएलए के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है।

45. विद्वान ए. एस. जी. द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि धारा 19 ईडी के अधिकृत अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी की शक्ति के खिलाफ एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा है और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय हैं:-

(i) गिरफ्तारी अधिकारी के पास अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर, "विश्वास करने का कारण" है कि कोई भी व्यक्ति पीएमएलए के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है;

(ii) गिरफ्तारी के आधार याचिकाकर्ता को उसकी गिरफ्तारी के साथ-साथ सौंपे जाएंगे:

(iii) अभियुक्त के खिलाफ उसके पास सामग्री के अभाव में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

46. विद्वान एसजी के अनुसार, याचिकाकर्ता को प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों के आधार पर गिरफ्तारी अधिकारी के पास "यह मानने का कारण" था कि याचिकाकर्ता अपराध का दोषी है। उक्त तथ्य गिरफ्तारी के आधार पर कहा गया है जो याचिकाकर्ता को प्रदान किया गया था और जांच के दौरान ईडी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री एकत्र की थी। मेसर्स ए. एम. पी. एल. और याचिकाकर्ता के बीच बैंक के माध्यम से न केवल मौद्रिक लेनदेन हुआ था, बल्कि 2014-2016 अवधि के दौरान रु. दोनों पक्षों के बीच 29 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ।

47. विद्वान ए. एस. जी. द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि दो कंपनियों के बीच मौद्रिक लेनदेन व्यवसाय में असामान्य नहीं है, लेकिन जब दो कंपनियों के बीच मौद्रिक लेनदेन होता है तो कुछ मानदंडों का पालन करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, एक बोर्ड बैठक होनी चाहिए जिसमें मौद्रिक लेनदेन के लिए निर्णय निदेशक मंडल द्वारा लिया जाएगा। इस तरह के समाधान के आधार पर, बैंक संस्थानों को कंपनी द्वारा न्यासी कंपनी के क्रेडिट में राशि वितरित करने के लिए कहा जाएगा और हस्तांतरणीय कंपनी के खाते में धन के हस्तांतरण के समय भी ऐसा ही समाधान होगा।

मैसर्स एएमपीएल या याचिकाकर्ता द्वारा ऐसी किसी भी आवश्यकता का पालन नहीं किया गया था। अतः याचिकाकर्ता की संलिप्तता साबित होती है।

48. विद्वान ए. एस. जी. ने रिट याचिका के पृष्ठ 92 का संदर्भ दिया, जिसमें "विश्वास करने का कारण" के बारे में कथन शामिल है। उक्त दस्तावेज़ के पैराग्राफ संख्या 9 से 14 और 19 से 20 में निम्नलिखित कहा गया है:

"9. इस मामले में आगे की जांच से पता चला कि एसजी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री अजय सिंह भी इस सिंडिकेट का हिस्सा हैं, जो मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अवैध रेत खनन और रेत की बिक्री से उत्पन्न लाभ में कुल 10 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं। आयकर विभाग द्वारा जब्त किए गए अन्य दस्तावेजों में सिंडिकेट सदस्यों की संलिप्तता, उन्हें भुगतान की गई राशि और रेत की अवैध बिक्री से प्राप्त हिस्से के बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा, मिस एस. जी. प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों का विश्लेषण मिस आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के साथ भारी लेनदेन को दर्शाता है।

10. पी. एम. एल. ए., 2002 के यू. 50 के वक्तव्य के दौरान श्री. ब्रांडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी सिंडिकेट के 60.9% शेयर वाले सदस्यों में से एक है) के निदेशक मिथिलेश कुमार सिंह ने खुलासा किया कि अवैध रेत खनन और रेत की बिक्री के पीछे एक सिंडिकेट है और एसजी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री अजय सिंह को को अवैध मुनाफे में 10% हिस्सेदारी के साथ सिंडिकेट के सदस्यों में से एक बताया।

11. इसके अलावा, आयकर विभाग, पटना से पीएमएलए, 2002 की धारा 54 के तहत प्राप्त दस्तावेजों के विश्लेषण से पता चला है कि आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के पीएनबी डेहरी खाते से एसजी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को रुपये हस्तांतरित किए गए थे। इसी तरह, 1 करोड़ रुपये के नकद जमा के बदले मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड से 1 करोड़ रुपये एसजी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किए गए, जो मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के अवैध रेत खनन व्यवसाय में एसजी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की भागीदारी को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है।

12. इसके अलावा, मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड और एस. जी. प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों के विश्लेषण से भारी लेनदेन का पता चलता है। अजय सिंह इतने बड़े लेन-देन का संतोषजनक कारण नहीं बता सके। उन्होंने कहा कि ये सभी लेन-देन मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड को बिना किसी ब्याज के दिए गए पारिवारिक ऋण थे, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास इस संबंध में कोई सहायक दस्तावेज नहीं हैं। हालांकि, मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के खाते के विश्लेषण से पता चला कि मैसर्स एसजी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ रेत की बिक्री के खिलाफ थे। इसलिए, यह स्पष्ट है कि एस. जी. प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अजय सिंह विरोधाभासी जवाब दे रहे हैं और जांच को गुमराह करने के लिए सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।

13. इसके अलावा, विनय विनिमय प्राइवेट लिमिटेड (अजय सिंह की एक संबद्ध संस्था) के बैंक खातों के विश्लेषण से पता चलता है कि विनय विनय प्राइवेट लिमिटेड ने मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड को भारी धन हस्तांतरित किया है। इसके अलावा, बैंक खातों के विश्लेषण से यह देखा जा सकता है कि सभी मामलों में धन एसजी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से विनय विनिमय प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया था और उतनी ही राशि बाद में उसी दिन मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई थी, लेकिन जब अजय सिंह से इस बारे में पूछा गया तो वह लेनदेन की प्रकृति और उद्देश्य को संतोषजनक रूप से समझा नहीं सके और भ्रामक जवाब दिए। उन्होंने कहा कि विनय विनिमय प्राइवेट लिमिटेड ने मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड को ऋण दिया है, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास इस संबंध में कोई सहायक दस्तावेज नहीं हैं। इसके अलावा, मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के खाते के विश्लेषण से पता चला कि विनय विनिमय प्राइवेट लिमिटेड के साथ लेनदेन रेत की बिक्री के खिलाफ था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि एसजी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अजय सिंह विरोधाभासी जवाब दे रहे हैं

और जांच को गुमराह करने के लिए सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।

14. आगे एस. जी. प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते के अवलोकन पर यह देखा गया है कि एस. जी. पी. एल. के खाते में आई. डी. 1 पर आई. डी. 2 की नकद जमा की गई थी और उसी दिन एस. जी. पी. एल. से मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड को 3 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए थे।

19. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेरे पास यह मानने के कारण हैं कि एस. जी. प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक श्री अजय सिंह के माध्यम से अवैध रेत खनन व्यवसाय में शामिल है और उस सिंडिकेट का भी हिस्सा है जो अवैध खनन और इसकी बिक्री में शामिल है, जिससे आई. पी. सी., 1860 की धारा 120 बी, 411,420 के तहत अपराधों के माध्यम से भारी आय उत्पन्न होती है जो पी. एम. एल. ए., 2002 के तहत अनुसूचित अपराध हैं। इसके अलावा अपराध की उक्त आय को बाद में विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों के माध्यम से स्तरित और धनशोधन किया जा रहा है। इस प्रकार, अजय सिंह को अनुसूचित अपराध से संबंधित गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, इसलिए वह धन शोधन के अपराध का दोषी है।

20. श्री जग अजय सिंह ने जांच के दौरान गैर-सहयोगी रुख अपनाया है, क्योंकि उन्होंने प्रासंगिक जानकारी को रोककर रखा है, जो उनके विशेष ज्ञान में है और उन्होंने दूसरों पर जिम्मेदारी डाल दी है। इस प्रकार उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जांच कार्यवाही को गुमराह करने और विफल करने का प्रयास किया है। "

49. यह पूछे जाने पर कि क्या सह-अभियुक्त के बयान का उपयोग दूसरे के खिलाफ उसे पीएमएलए के तहत एक मामले में फंसाने के लिए किया जा सकता है, विद्वान एसजी पीएमएलए की धारा 50 का उल्लेख करता है। धारा 50 इस प्रकार हैः.

"50. समन, दस्तावेज प्रस्तुत करने और साक्ष्य देने आदि के संबंध में अधिकारियों की शक्तियाँ।

(1) निदेशक के पास, धारा 12 के प्रयोजनों के लिए, वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत सिविल न्यायालय में निहित हैं, जब वह निम्नलिखित मामलों के संबंध में एक मुकदमे का परीक्षण करेगा, अर्थात्:

(क) खोज और निरीक्षण;

(ख) किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को लागू करना, जिसमें एक रिपोर्टिंग इकाई का कोई अधिकारी भी शामिल है, और शपथ पर उसकी जांच करना;

(ग) अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना

(घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(ई) गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए आयोग जारी करना; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

(2) निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक के पास इस अधिनियम के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही के दौरान सबूत देने या कोई रिकॉर्ड पेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति होगी, जिसकी उपस्थिति वह आवश्यक समझता है।

(3) इस प्रकार बुलाए गए सभी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत एजेंटों के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे, जैसा कि ऐसा अधिकारी निर्देश दे सकता है, और किसी भी विषय पर सच्चाई बताने के लिए बाध्य होंगे, जिसके संबंध में उनकी जांच की जाती है या बयान दिए जाते हैं, और ऐसे दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य होंगे जिनकी आवश्यकता हो सकती है।

(4) उप-धारा (2) और (3) के तहत प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा।

(5) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी नियम के अधीन रहते हुए, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कोई भी अधिकारी इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में अपने सामने पेश किए गए किसी भी अभिलेख को ऐसी अवधि के लिए अपनी हिरासत में रख सकता है, जो वह उचित समझे:

बशर्ते कि कोई सहायक निदेशक या उप निदेशक

(ए) ऐसा करने के लिए अपने कारणों को दर्ज किए बिना कोई रिकॉर्ड जब्त नहीं करेगा; या

(ख) संयुक्त निदेशक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना, तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए ऐसे किसी भी अभिलेख को अपनी अभिरक्षा में नहीं रखेगा ।

50. अभिषेक बनर्जी एवं अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 में रिपोर्ट किया गया 9 एस.सी.आर. 110, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 13 में इस प्रकार टिप्पणी की :

“13. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि अब तक तय किए गए पी. एम. एल. ए. के प्रावधान न केवल धन शोधन के अपराध की जांच करने के लिए हैं, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण रूप से धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करने के लिए हैं। जैसा कि विजय मदनलाल (सुप्रा) में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना है, पीएमएलए एक आत्मनिर्भर संहिता है और इसके तहत परिकल्पित प्रावधान धारा 71 के अनुसार प्रभावी होने चाहिए, जो यह निर्धारित करता है कि अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे, भले ही वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में इसके साथ असंगत कुछ भी हो, जिसमें सीआरपीसी के प्रावधान शामिल हैं। अधिनियम की धारा 65 निर्धारित करती है कि सीआरपीसी के प्रावधान लागू होंगे क्योंकि वे गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती, कुर्की, जब्ती, जांच, अभियोजन और अधिनियम के तहत अन्य सभी कार्यवाही के संबंध में पी. एम. एल. ए. के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि संहिता की धारा 4 (2) में कहा गया है

कि किसी भी अन्य कानून के तहत सभी अपराधों की जांच, जांच, मुकदमा चलाया जाएगा और अन्यथा उन्हीं प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा, लेकिन इस तरह के अपराधों की जांच, जांच, प्रयास या अन्यथा निपटने के तरीके या स्थान को विनियमित करने वाले किसी भी अधिनियम के अधीन। इसके अलावा, संहिता की धारा 5 में कहा गया है कि संहिता में निहित कुछ भी, इसके विपरीत विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, वर्तमान में लागू किसी विशेष या स्थानीय कानून या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकार क्षेत्र या शक्ति या निर्धारित प्रक्रिया के किसी विशेष रूप को प्रभावित नहीं करेगी। इस प्रकार, पी. एम. एल. ए. की धारा 71 और धारा 65 के साथ-साथ संहिता की धारा 4 (2) और धारा 5 के संयुक्त पठन को ध्यान में रखते हुए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पी. एम. एल. ए. के प्रावधानों का प्रभाव होगा, इसके बावजूद कि इसके साथ कुछ भी असंगत है।

51. प्रक्रियात्मक सुरक्षा को छोड़कर पीएमएलए की धारा 50 के तहत प्राधिकरण को शक्ति प्रदान करने के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" के रुख के विपरीत होगा, अभिषेक बनर्जी (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च ने अनुच्छेद 20 (3) और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की कसौटी में पीएमएलए की धारा 50 की वैधता को एक बार फिर स्थापित करने के लिए विजय मदनलाल चौधरी (ऊपर) के पैराग्राफ संख्या 425 और 431 का हवाला दिया। उपरोक्त अनुच्छेद नीचे उद्धृत किए गए हैं:

"425. वास्तव में, धारा 50 की उप-धारा (2) निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक को किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने में सक्षम बनाती है, जिसकी उपस्थिति वह इस अधिनियम के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही के दौरान साक्ष्य देने या कोई रिकॉर्ड पेश करने के लिए आवश्यक समझता है। हम पहले ही इस निर्णय के पूर्व भाग में "कार्यवाही" अभिव्यक्ति की व्यापकता पर प्रकाश डाल चुके हैं और यह अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि यह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होता है, जैसा भी मामला हो। फिर भी, उप-धारा (2) अधिकृत अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार देती है। हम यह समझने में विफल हैं कि ऐसे

समन के अनुसार बयान दर्ज करने की प्रक्रिया के संबंध में अनुच्छेद 20 (3) कैसे लागू होगा जो केवल इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के संबंध में जानकारी या साक्ष्य एकत्र करने के उद्देश्य से है। वास्तव में, इस प्रकार बुलाया गया व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत एजेंट के माध्यम से उपस्थित होने और किसी भी विषय पर सच्चाई बताने के लिए बाध्य है जिसके बारे में उससे पूछताछ की जा रही है या उससे बयान देने और दस्तावेज पेश करने की उम्मीद की जाती है जो 2002 के अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (3) के आधार पर आवश्यक हो सकता है।

426 से 430

431. 2002 के अधिनियम के संदर्भ में, यह याद रखना चाहिए कि सम्मन प्राधिकरण द्वारा धारा 50 के तहत अपराध की आय के बारे में जांच के संबंध में जारी किया जाता है, जिसे कुर्क किया जा सकता है और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है। ऐसी कार्रवाई के संबंध में, नामित अधिकारियों को निर्णय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी और साक्ष्य के संग्रह के लिए किसी भी व्यक्ति को बुलाने का अधिकार दिया गया है। जरूरी नहीं कि यह नोटिस पाने वाले के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए हो। इस अधिनियम के तहत नामित अधिकारियों को सौंपी गई शक्ति, हालांकि वास्तविक अर्थों में जांच के रूप में दी गई है, अपराध की आय के संबंध में कार्रवाई शुरू करने या आगे बढ़ाने में सुविधा के लिए प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच करना है, यदि स्थिति आवश्यक है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यह एक अलग मामला है कि की गई जांच के दौरान इस तरह से एकत्रित की गई जानकारी और साक्ष्य, धन-शोधन के अपराध और उस व्यक्ति की संलिप्तता का खुलासा कर सकते हैं, जिसे प्राधिकरण द्वारा जारी समन के अनुसार खुलासा करने के लिए बुलाया गया है। इस स्तर पर, ऐसे व्यक्ति के धन शोधन के अपराध में अभियुक्त के रूप में संलिप्त होने की संभावना का संकेत देने वाला कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं होगा। यदि उसके द्वारा दिया गया बयान धन शोधन के अपराध या अपराध की आय के अस्तित्व का खुलासा करता है, तो वह अधिनियम के तहत ही कार्रवाई योग्य हो जाता है। दूसरे शब्दों में, संपत्ति के अपराध की आय होने के संबंध में प्रासंगिक तथ्यों

की जांच करने के उद्देश्य से बयान दर्ज करने के चरण में, उस अर्थ में, अभियोजन के लिए जांच नहीं है; और किसी भी मामले में, नोटिसकर्ता के खिलाफ कोई औपचारिक आरोप नहीं होगा। इस तरह के समन अधिकृत अधिकारियों द्वारा की गई जांच में गवाहों को भी जारी किए जा सकते हैं। हालांकि, अन्य सामग्री और साक्ष्य के आधार पर आगे की जांच के बाद, ऐसे व्यक्ति (नोटिस प्राप्तकर्ता) की संलिप्तता का पता चलता है, अधिकृत अधिकारी निश्चित रूप से उसके खिलाफ उसके कृत्यों या चूक के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में, समन जारी करने के चरण में, व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता है। हालांकि, अगर ईडी अधिकारी द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी के बाद उसका बयान दर्ज किया जाता है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 (3) या धारा 25 के परिणाम लागू हो सकते हैं, जिससे यह आग्रह किया जा सकता है कि यह स्वीकारोक्ति की प्रकृति का है, इसलिए उसके खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यह अभियोजन पक्ष को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने से नहीं रोकेगा, जिसमें उसके दावे के झूठ को इंगित करने के लिए अन्य ठोस सामग्री के आधार पर 2002 अधिनियम की धारा 63 के तहत परिणाम शामिल हैं। यह सबूत के नियम का मामला होगा। ”

52. अंत में उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 19 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः.

“19. विजय मदनलाल में निर्धारित उपरोक्त अनुपात अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकीलों द्वारा धारा 50 के प्रावधानों के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) या अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने के संबंध में उठाए गए तर्कों को स्वीकार करता है, और हमें इसे और विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, न ही हमें उक्त मुद्दे पर इस न्यायालय के निर्णयों से निपटने की आवश्यकता है जिन पर पहले ही विजय मदनलाल में विचार किया जा चुका है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि धारा 50 अधिकृत प्राधिकरण को किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने में सक्षम बनाती है जिसकी उपस्थिति जिसकी उपस्थिति वह अधिनियम के तहत कार्यवाही के दौरान साक्ष्य देने या कोई रिकॉर्ड पेश करने के लिए आवश्यक समझता है,

और इस तरह से समन किए गए व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत एजेंट के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जाता है, और उस विषय पर सत्य बताना होता है जिसके बारे में उसकी जांच की जा रही है या उससे बयान देने और दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा की जाती है, जैसा कि धारा 50 की उप-धारा (3) के आधार पर अपेक्षित हो सकता है। समन जारी करने के चरण में, व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि यह "गवाही की मजबूरी" नहीं है। संपत्ति के अपराध की आय होने के संबंध में प्रासंगिक तथ्यों की जांच करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति का बयान दर्ज करने के चरण में, अभियोजन के लिए जांच नहीं है। अधिकृत अधिकारियों द्वारा की गई जाँच में गवाहों को भी समन जारी किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 20 (3) या साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के परिणाम केवल तभी लागू हो सकते हैं जब ऐसे व्यक्ति (नोटिसकर्ता) की संलिप्तता का खुलासा किया जाता है और ईडी अधिकारी द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी के बाद उसके बयान दर्ज किए जाते हैं। हमारी राय में, अपीलार्थियों के विद्वान वकीलों ने उन मुद्दों को फिर से हल करने की कोशिश की है जिन्हें विजय मदनलाल में पहले ही सुलझा लिया गया है। "

53. **अनूप बरतारिया और आदि बनाम प्रवर्तन निदेशालय और अन्य** में एक अन्य निर्णय का हवाला देते हुए जो की 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 477 में रिपोर्ट किया गया, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और सीआरपीसी की धारा 482 के तहत वैधानिक एजेंसी द्वारा दायर शिकायत को रद्द करने की उच्च न्यायालय की शक्ति अलग-अलग है, हालांकि संवैधानिक न्यायालय को हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य, 1992 के सप (1) एससीसी 335 में उल्लिखित गंभीर मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। यह मामला उपरोक्त किसी भी पैरामीटर के अंतर्गत नहीं आता है। पीएमएलए के तहत धनशोधन के कथित अपराध में याचिकाकर्ता की प्रथम दृष्टया संलिप्तता दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री होने के कारण, याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की थी।

54. **तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, जो ए. आई. आर. 2024 एस. सी. 169** में रिपोर्ट किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक

और निर्णय है जिस पर विद्वान एएसजी ने यह प्रस्तुत करने के लिए भरोसा किया है कि याचिकाकर्ता के पास रिमांड को चुनौती देने की कोई गुंजाइश नहीं है। याचिकाकर्ता के पास उक्त अधिनियम की धारा 45 (1) में निहित जमानत देने के लिए लागू दोहरी शर्तों को देखते हुए विद्वान विशेष न्यायाधीश, पटना द्वारा पारित रिमांड आदेश को चुनौती देने की कोई गुंजाइश नहीं है।

55. तरुण कुमार (सुप्रा) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **विजय मदनलाल चौधरी (सुप्रा)** के पैराग्राफ संख्या 412 का संदर्भ दिया है जो इस प्रकार है:-

“412. नतीजतन, हमें यह देखने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कार्यवाही की प्रकृति, चाहे वह 1973 की संहिता की धारा 438 के तहत हो या उस मामले के लिए, संवैधानिक न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करके, 2002 की धारा 45 के अंतर्निहित सिद्धांतों और कठोरता को लागू किया जाना चाहिए और 2002 के अधिनियम के उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए बिना किसी अपवाद के गणना की जानी चाहिए, जो कि धन-शोधन के खतरे से निपटने के लिए कड़े नियामक उपायों का प्रावधान करने वाला एक विशेष कानून है। ”

56. **गौतम कुंडू बनाम प्रवर्तन निदेशालय में 2015 16 एससीसी 1** में रिपोर्ट की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पी. एम. एल. ए. की धारा 45 में निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं और उनका पालन करने की आवश्यकता है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 65 और धारा 71 के प्रावधानों द्वारा और मजबूत किया गया है। धारा 65 के लिए आवश्यक है कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होंगे क्योंकि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं और धारा 71 में प्रावधान है कि अनुसार पीएमएलए के प्रावधानों का प्रभाव सर्वोपरि होगा, भले ही वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में इसके साथ असंगत कुछ भी हो। पी. एम. एल. ए. का एक प्रमुख प्रभाव है और सी. आर. पी. सी. के प्रावधान केवल तभी लागू होंगे जब वे इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न हों। इसलिए, पी. एम. एल. ए. की धारा 45 में उल्लिखित शर्तों का पालन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत के लिए आवेदन के संबंध में भी करना होगा। धारा 24 के प्रावधानों के साथ यह प्रावधान है कि जब तक इसके

विपरीत साबित नहीं होता है, तब तक प्राधिकरण या न्यायालय यह मान लेगा कि अपराध की आय धन-शोधन में शामिल है और यह साबित करने का बोझ कि अपराध की आय शामिल नहीं है, अपीलार्थी पर है।

57. इस प्रकार, विद्वान एएसजी ने निष्कर्ष निकाला कि ईडी ने कारणों के संबंध में अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभ्यास के बाद गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति को जानकारी दी जानी चाहिए। एक सिंडिकेट बनाकर बिहार राज्य में संचालित रेत घोटाले के अपराध में अपनी संलिप्तता के समर्थन में जांच अधिकारी द्वारा पर्याप्त सामग्री एकत्र की गई है। ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता द्वारा दायर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आवेदन की अनुमति देने का कोई कारण नहीं है।

58. यद्यपि "विश्वास करने का कारण" शब्द के दायरे और महत्व के बारे में बहुत विस्तार से तर्क नहीं दिया गया है, धारा 19 (1) गिरफ्तारी अधिकारी को उसके द्वारा एकत्र की गई सामग्री के आधार पर एक राय बनाने का कर्तव्य देती है कि "विश्वास करने का कारण" है कि व्यक्ति अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है। विश्वास करने का कारण शब्द को पीएमएलए में परिभाषित नहीं किया गया है। आई. पी. सी. की धारा 26 निम्नलिखित शब्दों में "विश्वास करने के कारण" को परिभाषित करती है:

"26 "विश्वास करने का कारण ":- एक व्यक्ति के पास किसी बात पर "विश्वास करने का कारण" कहा जाता है, अगर उसके पास उस बात पर विश्वास करने का पर्याप्त कारण है लेकिन अन्यथा नहीं। "

59. "विश्वास करने का कारण" शब्द का उपयोग विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 35 और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 103 में भी किया जाता है।

60. धारा 35 (1) इस प्रकार है:

"35. गिरफ्तार करने की शक्ति:-(1) यदि केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत प्रवर्तन के किसी अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि भारत में या भारतीय सीमा शुल्क जल क्षेत्र के भीतर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी

रहा है, तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और जितनी जल्दी हो सके, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करेगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक देरी के मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा।

(3) जहां प्रवर्तन के किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को उप-धारा (1) के तहत गिरफ्तार किया है, वहां उसके पास, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर या अन्यथा रिहा करने के उद्देश्य से, वही शक्तियां होंगी और वही प्रावधान होंगे जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास हैं, और वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन है।]”

59. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 103 में कहा गया है.:

“103. पी. एम. एल. ए. की धारा 19 और उपर्युक्त दो प्रावधानों के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि पी. एम. एल. ए. और एफ. ई. आर. ए. ने गिरफ्तारी अधिकारी को "विश्वास करने का कारण" निर्धारित किया है कि व्यक्ति अपराध का दोषी है, धारा 103 सीमा शुल्क अधिकारी की वैज्ञानिक उपकरणों के साथ किसी व्यक्ति की जांच और स्कैन करने की शक्ति की बात करती है जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण होता है कि धारा 100 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई भी सामान जब्त करने के लिए उत्तरदायी है। ”

61. विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2023) 12 एस. सी. सी. 1 में सूचित, माननीय उच्चतम न्यायालय ने गिफर्ड बनाम केल्सन के मामले में एक कनाडाई फैसले पर भरोसा करते हुए "विश्वास करने के कारण" के अर्थ और उद्देश्य पर विस्तृत चर्चा की। विजय मदनलाल चौधरी (सुप्रा) में प्रासंगिक पैराग्राफ पढ़ा:

“16(liii).....दूसरा, गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग करने से पहले प्राधिकरण के पास ऐसी सामग्री होनी चाहिए जो दंड प्रक्रिया संहिता के विपरीत हो जो किसी भी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी की शक्ति देती है और अधिकारी किसी भी व्यक्ति को केवल शिकायत, विश्वसनीय जानकारी या ऐसे

व्यक्ति के खिलाफ उचित संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है। तीसरा, यह मानने का कारण होना चाहिए कि गिरफ्तार किया जा रहा व्यक्ति सीआरपीसी के प्रावधान के विपरीत पीएमएलए के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है, जिसके लिए मुख्य रूप से अपराध करने की उचित आशंका/संदेह की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, विश्वास करने के ऐसे कारणों को लिखित रूप में कम किया जाना चाहिए। पाँचवाँ, अनुच्छेद 22 (1) के संवैधानिक अधिदेश के अनुसार, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाना आवश्यक है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरे पक्ष का यह तर्क कि अभियुक्त या गिरफ्तार व्यक्तियों को उनके खिलाफ मामले के बारे में सूचित भी नहीं किया जाता है, अधिनियम की स्पष्ट भाषा के विपरीत है, क्योंकि अधिनियम में ही यह आदेश है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

XX

XX

XX

इसके बाद इस न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया बनाम पदम नारायण अग्रवाल [यूनियन ऑफ इंडिया बनाम पदम नारायण अग्रवाल, (2008) 13 एससीसी 305: (2009) 1 एससीसी (क्रि) 1] में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया जाता है, जिसमें न्यायालय ने 1962 अधिनियम की धारा 104 के तहत गिरफ्तार करने की शक्ति की जांच की थी। निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह कहा गया कि गिरफ्तार करने की शक्ति वैधानिक है और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है और इसका उपयोग केवल अधिकारी की कल्पना से मुक्त वस्तुनिष्ठ विचारों पर किया जा सकता है। कानून मानदंड निर्धारित करके और सुरक्षा उपाय प्रदान करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उचित ध्यान रखता है ताकि अधिकारी इस तरह की शक्ति का दुरुपयोग न कर सकें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि "विश्वास करने के कारण" और "लिखित रूप में ऐसे कारणों को दर्ज करने" की आवश्यकता मनमानेपन को रोकती है और प्रावधान को अनुच्छेद 14 के अनुरूप बनाती है। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि पीएमएलए के 17 वर्षों के संचालन में पीएमएलए के तहत केवल 313 गिरफ्तारियां की गई हैं।

16 (lx)। गिफर्ड बनाम केल्सन [गिफर्ड बनाम केल्सन, (1943) 51 मैन आर 120 (कनाडा - मैनिटोबा)] में कनाडाई निर्णय पर भी भरोसा किया गया था, यह बताने के लिए कि "विश्वास करने का कारण" किसी तथ्य के अस्तित्व या किसी कार्य के किए जाने के बारे में साक्ष्य पर आधारित मन के दृढ़ विश्वास को व्यक्त करता है, इसलिए, केवल संदेह की तुलना में उच्च मानक का है। प्रीमियम ग्रेनाइट्स बनाम स्टेट ऑफ टी. एन. [प्रीमियम ग्रेनाइट्स बनाम टी. एन. राज्य, (1994) 2 एस. सी. सी. 691] में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है। यह आग्रह करने के लिए कि शक्ति के प्रयोग के लिए कारण देने की आवश्यकता स्वयं मनमानेपन की संभावनाओं को बाहर करती है। "

हम गिफोर्ड (ऊपर) में जो निर्णीत किया गया है, उसे पुनः प्रस्तुत करेंगे:

"संदेह या विश्वास का मनोरंजन किया जा सकता है, लेकिन संदेह और विश्वास एक साथ मौजूद नहीं हो सकते हैं। संदेह विश्वास की तुलना में बहुत कम है; विश्वास में संदेह शामिल या अवशोषित होता है।

XX

XX

XX

जब हम "विश्वास करने के कारण" की बात करते हैं तो हमारा मतलब किसी तथ्य के अस्तित्व के बारे में एक निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। बेशक, "विश्वास करने का कारण" सकारात्मक ज्ञान के बराबर नहीं है और न ही इसका मतलब पूर्ण निश्चितता है, लेकिन यह किसी तथ्य के अस्तित्व या किसी कार्य के करने के संबंध में साक्ष्य पर आधारित मन के विश्वास को व्यक्त करता है।

दूसरी ओर, संदेह अनिश्चितता को दर्शाता है। यह कल्पना में रहता है। यह आभास है। यह अविश्वास है। 'विश्वास करने का कारण' नहीं है। यह दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। गिफोर्ड (ऊपर) "विश्वास करने के कारणों" और "संदेह" के बीच के अंतर को सटीक रूप से समझाते हैं। "संदेह" के लिए कम संतुष्टि की आवश्यकता होती है, और यह विश्वास के बराबर नहीं है। विश्वास अटकलों या संदेह से परे है, और विश्वास की सीमा "किसी तथ्य के

अस्तित्व या किसी कार्य को करने के संबंध में साक्ष्य पर आधारित दृढ़ विश्वास को व्यक्त करती है। "यह देखते हुए कि गिरफ्तारी की शक्ति कठोर है और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है, हमें विधायी इरादे को सार्थक, सच्चा और पूर्ण रूप से निभाना चाहिए। "

62. इस प्रकार, अब यह स्थापित किया गया है कि "विश्वास करने का कारण" शब्द की तुलना सीआरपीसी की धारा 41 (1) (B) में निहित उचित शिकायत या विश्वसनीय जानकारी या उचित संदेह शब्द के साथ नहीं की जा सकती है। "विश्वास करने का कारण" ठोस साक्ष्य या सामग्री है जो कुछ तथ्यों के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है। विश्वास करने का यह कारण गिरफ्तारी की शक्ति की जड़ तक जाता है। गिरफ्तारी अधिकारी की व्यक्तिपरक राय गिरफ्तारी की तारीख पर उसके पास उपलब्ध सामग्री के निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ विचार पर आधारित है। विश्वास करने के कारण के आधार पर, अदालत गिरफ्तारी किए जाने पर पीएमएलए की धारा 19 (1) के अनुपालन के लिए की गई कवायद की वैधता पर द्वितीयक राय बनाएगी।

63. तत्काल मामले पर आते हुए, रिट याचिका के पृष्ठ संख्या 88 से यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता को दिए गए बयानों के साथ प्रदान किया गया था जिसमें पीएमएलए की धारा 19 (1) को लागू करने के लिए विश्वास करने का कारण था। याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के आधार भी दिए गए थे।

64. "विश्वास करने के कारण" की सामग्री नीचे संक्षेप में दी गई हैः.

(क) मेसर्स एएमपीएल ने 2015 से 2019 तक शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए रेत खनन और इसकी बिक्री का लाइसेंस प्राप्त किया। हालाँकि उक्त लाइसेंस को वर्ष 2021 तक बढ़ा दिया गया था। बिहार के औरंगाबाद और रोहतास जिले के सभी घाटों से रेत निकालने के लिए लाइसेंस दिया गया था।

(ख) एएमपीएल के खिलाफ खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (2015) के नियम 21 के साथ पठित आईपीसी की धारा 34, 120 बी, 379, 384, 406, 411, 420, 467, 468 और 471, बिहार लघु खनिज रियायत नियम, 1972 के नियम 40, बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, पटना उच्च न्यायालय सी. आर. की धारा 11, 39 और जिला खनन अधिकारी, औरंगाबाद और रोहतास द्वारा दायर शिकायतों के आधार पर परिवहन और भंडारण) नियम, 2019 और पर्यावरण संरक्षण

अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत 24 प्राथमिकियां दर्ज की गईं। यह आरोप लगाया गया है कि कंपनी और उसके निदेशकों ने राजस्व में सरकारी खजाने को 210,91,76,276 रुपये का भारी नुकसान किया है।

(ग) उपरोक्त प्राथमिकियों में नामित अभियुक्त व्यक्तियों ने पी. एम. एल. ए. के तहत अनुसूचित अपराध किया है, इसलिए ई. डी. ने ई. सी. आई. आर. सं. पी. टी. जेड. ओ./7/2022, दिनांक 10 जनवरी, 2022 को 04.06.2023 और 09.11.2023 के परिशिष्ट ई. सी. आई. आर. के साथ पढ़ा गया। जाँच के दौरान, ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अशोक कुमार, अशोक कुमार के सहयोगी सुदामा कुमार और अवैध रेत खनन के सिंडिकेट सदस्यों में से एक राधा चरण साह के परिसरों पर छापा मारा गया और उक्त व्यक्तियों और कंपनी के आईटी रिटर्न एकत्र कर जब्त कर लिए गए।

(घ) राधा चरण साह के परिसर से आय और व्यय के संबंध में जब्त किए गए खाते की जांच करने पर, जांच अधिकारी को सिंडिकेट सदस्यों के बीच लाभ बंटवारे के प्रतिशत का विवरण पता चला।

(ङ) उक्त दस्तावेजों के विश्लेषण पर, यह पता चला कि मैसर्स एएमपीएल ने अवैध रूप से पटना उच्च न्यायालय सी. आर. से निकाली गई बिना किसी परमिट के खदानों से रेत को चालान बनाए बिना बेच दिया जिससे सरकार को 38,71,46,070/- रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है

(च) जाँच के दौरान, यह भी पता चला कि सिंडिकेट सदस्य रेत खनन गतिविधि में कार्यरत हैं और उन्होंने अपने द्वारा नियंत्रित नकली संस्थाओं के माध्यम से बोली लगाने की प्रक्रिया में भाग लिया। डमी संस्थाओं में से एक के बोली जीतने के बाद, प्रारंभिक रॉयल्टी भुगतान बोली जीतने वाली संस्था के खातों में विभिन्न व्यक्तियों से पैसे निकालकर किया जाता है। इसके अलावा अवैध रेत खनन से उत्पन्न वास्तविक रेत खनन को सिंडिकेट सदस्यों के बीच विभाजित किया जाता है।

(छ) यह भी पता चला है कि याचिकाकर्ता मैसर्स एएमपीएल द्वारा अवैध रेत खनन और रेत की बिक्री से उत्पन्न लाभ में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सिंडिकेट का भी हिस्सा है। आई. टी. विभाग से जब्त किए गए दस्तावेज भी सिंडिकेट सदस्यों की संलिप्तता की पुष्टि करते हैं, उन्हें बोली लगाने की राशि और रेत की अवैध बिक्री से प्राप्त हिस्से के बदले भुगतान किया जाता है।

(ज) ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मिथलेश कुमार, जिनके पास सिंडिकेट का 60.9 प्रतिशत हिस्सा है, ने खुलासा किया कि अवैध रेत खनन और रेत की बिक्री के पीछे एक सिंडिकेट है, और याचिकाकर्ता को सिंडिकेट के सदस्यों में से एक के रूप में नामित किया, जिसके पास अवैध लाभ में 10 प्रतिशत हिस्सा है। राधा चरण साह से जब्त की गई खाता बही और मिथलेश कुमार के बयान से पता चला कि मेसर्स एसजीपीएल के साथ लेनदेन रेत की बिक्री के बारे में था।

(झ) यह भी पता चला है कि याचिकाकर्ता की विनय विनिमय प्राइवेट लिमिटेड और एसोसिएट कंपनी ने मेसर्स एएमपीएल को भारी धनराशि हस्तांतरित की। आगे की जाँच से पता चला कि मेसर्स एस. जी. पी. एल. ने विनय विनय प्राइवेट लिमिटेड को पैसा हस्तांतरित किया और विनय विनय प्राइवेट लिमिटेड ने इसे मेसर्स ए. एम. पी. एल. को स्थानांतरित कर दिया। मेसर्स एएमपीएल के साथ मेसर्स एसजीपीएल के वित्तीय लेनदेन के संबंध में अशोक कुमार और राधा चरण साह के घर से अन्य दस्तावेज जब्त किए गए थे।

65. पीएमएलए की धारा 19 (1) के तहत गिरफ्तारी की शक्ति जांच के उद्देश्य से नहीं है। गिरफ्तारी इंतजार कर सकती है और होनी चाहिए और पीएमएलए की धारा 19 (1) के संदर्भ में शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब नामित अधिकारियों के पास मौजूद सामग्री उन्हें लिखित रूप में कारणों को दर्ज करके एक राय बनाने में सक्षम बनाती है कि गिरफ्तार व्यक्ति दोषी है। इस प्रकार, धारा 19 (1) केवल जांच करने के लिए गिरफ्तारी की अनुमति नहीं देती है। धारा 19 (1) की शर्तों को Cr.P.C की धारा 41 (1) (ii) के खंड ए, सी, डी और ई को संतुष्ट करना होगा, इसके अलावा अन्य विचार प्रासंगिक हो सकते हैं।

66. ईसीआईआर के दिनांक 10 जनवरी, 2022 के खंड 7 के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त ईसीआईआर एफआईआर संख्या 407/2021, दिनांक 3 अगस्त 2021 के आधार पर दर्ज की गई थी।

67. उक्त एफ. आई. आर. में आरोप मेसर्स ए. एम. पी. एल. के खिलाफ था जो रेत ब्लॉकों के संबंध में लाइसेंस धारक था। उपरोक्त ईसीआईआर के खंड 7 (ii) में ईडी का यह विशिष्ट मामला है कि संबंधित प्राथमिकी, जिस पर 2021 की डेहरी नगर पी. एस. मामला संख्या 407 दर्ज की गई थी, से पता चला है कि परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा

प्रदान की गई रिपोर्ट के अनुसार केवल 600000 घन फुट रेत कथित रूप से निकाली गई थी, जबकि उपरोक्त दोनों लाइसेंस धारक स्थानों पर 7784350 घन फुट रेत संग्रहीत थी। उक्त एफ. आई. आर. में आरोप लगाया गया था कि लाइसेंस धारक के अधिकृत कर्मचारी/निदेशक ने पूर्व-भुगतान चालान जारी किए बिना रेत को चुपके से बेच दिया। इस प्रकार, रुपये का नुकसान हो रहा है। 24,42,67,900/- बिहार सरकार के राजकोष में। खंड 7 (3) मेसर्स एएमपीएल द्वारा उक्त धन के गबन के बारे में भी बताता है।

68. ईसीआईआर में यह आरोप नहीं लगाया गया है कि याचिकाकर्ता किसी भी रेत खंड का लाइसेंस धारक है। यह भी आरोप नहीं लगाया गया है कि याचिकाकर्ता या उसकी कंपनी के लोग और एजेंट भंडारण स्थानों पर रेत के अवैध निष्कर्षण और भंडारण के लिए लगे हुए थे। इसलिए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ईडी यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं जुटा सका कि याचिकाकर्ता बिहार राज्य में अवैध खनन कार्य में लगा हुआ था। अतिरिक्त ई. सी. आई. आर. में भी मेसर्स ए. एम. पी. एल. के खिलाफ सभी आरोप लगाए गए थे।

69. याचिकाकर्ता को मामले के संबंध में मिथलेश कुमार द्वारा कथित रूप से दिए गए एक बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिसने सिंडिकेट के सदस्य के रूप में याचिकाकर्ता की संलिप्तता का आरोप लगाया था। दूसरा, ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राधा चरण साह के कब्जे से सिंडिकेट सदस्यों के खातों का उल्लेख करने वाली एक खाता पुस्तिका बरामद की गई। तीसरा, आयकर विभाग द्वारा जब्त किए गए कुछ दस्तावेजों में रुपये का हस्तांतरण दिखाया गया है। 20 जुलाई, 2020 को मेसर्स एएमपीएल के बैंक खाते से मेसर्स एसजीपीएल के बैंक खाते में 39 लाख रुपये। इसी तरह, 19 मार्च, 2020 को रु. मेसर्स ए. एम. पी. एल. से मेसर्स एस. जी. पी. एल. को 1 करोड़ रुपये की नकद जमा राशि हस्तांतरित की गई। 1 करोड़। ईडी ने माना कि मेसर्स एएमपीएल और मेसर्स एसजीपीएल के बीच वे मौद्रिक लेनदेन अवैध रेत खनन व्यवसाय में उनकी भागीदारी को स्थापित करते हैं।

70. ईडी ने मेसर्स एएमपीएल के निदेशकों में से एक जग नारायण सिंह के इस बयान को ध्यान में नहीं रखा कि याचिकाकर्ता के साथ उनके लंबे पारिवारिक और व्यावसायिक संबंध थे और याचिकाकर्ता और मेसर्स एएमपीएल के बीच पूरा लेनदेन ऋण

के माध्यम से मैत्रीपूर्ण लेनदेन था। उक्त धन अपराध की आय नहीं है और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उक्त धन का उपयोग रेत खनन व्यवसाय में किया गया था।

71. ईडी के अनुसार, रेत खनन व्यवसाय में सिंडिकेट इस तरह से काम कर रहा था कि बोली जीतने के बाद, रेत खनन व्यवसाय में कार्यरत उन बेईमान व्यापारियों के हिस्से के अनुसार धन एकत्र किया गया था और निविदा राशि इस शर्त पर जमा की गई थी कि अवैध निष्कर्षण के माध्यम से व्यवसाय के लाभ को उनके बीच साझा किया जाएगा। ईडी ने याचिकाकर्ता और मेसर्स एएमपीएल या किसी अन्य सिंडिकेट सदस्य के बीच धन के लेन-देन को एक साथ बोलियों के आह्वान और उच्चतम बोलीदाता के चयन के साथ दिखाने वाली कोई सामग्री पेश नहीं की है।

72. अवैध रेत खनन व्यवसाय में याचिकाकर्ता की संलिप्तता को साबित करने के लिए, कम से कम कुछ सामग्री इस प्रभाव से प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी कि याचिकाकर्ता ने बोली जीतने के लिए अपने हिस्से के अनुसार धन जमा किया। दुर्भाग्य से ईडी ने अपनी जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया।

73. इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि मितेश कुमार के बयान को क्यों स्वीकार किया गया और जग नारायण सिंह के बयान पर ईडी ने विचार क्यों नहीं किया।

74. विद्वान ए. एस. जी. ने समन, दस्तावेजों के उत्पादन और साक्ष्य देने के संबंध में ईडी की शक्ति के बारे में बहुत जोर दिया है।

75. इस संबंध में, यह न्यायालय का दायित्व है कि वह उल्लेख करे कि **विजय मदनलाल चौधरी** (सुप्रा) में धारा 50 की वैधता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) और 21 का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती दी गई है, क्योंकि यह पीएमएलए के तहत विभिन्न अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को बुलाने और जांच के दौरान उसका बयान दर्ज करने की अनुमति देता है। इसके अलावा प्रावधान यह आदेश देता है कि व्यक्ति को जांच के विषय के संबंध में अपने व्यक्तिगत ज्ञान के लिए ज्ञात सत्य और सही तथ्यों का खुलासा करना चाहिए। व्यक्ति पी. एम. एल. ए. की धारा 63 के संदर्भ में झूठ या गलत के लिए दंडित किए जाने की धमकी के साथ दिए गए बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए भी बाध्य है। पी. एम. एल. ए. की धारा 50 के तहत, निदेशक के पास वही शक्तियां निहित हैं जो इस मामले में दीवानी न्यायालय में निहित हैं। (ख) किसी (रिपोर्टिंग इकाई) के किसी भी अधिकारी सहित किसी भी व्यक्ति की

उपस्थिति को लागू करना और शपथ पर उसकी जाँच करना। निदेशकों को उक्त अधिनियम की धारा 13 के तहत जुर्माना लगाने का भी अधिकार है।

76. इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (2023) 12 एससीसी 1 में रिपोर्ट किए गए **विजय मदनलाल चौधरी** (सुप्रा) के पैरा संख्या 338 और 339 में नीचे दी गई टिप्पणी की है:-

“338. 2002 के अधिनियम के संदर्भ में, यह याद रखना चाहिए कि प्राधिकरण द्वारा धारा 50 के तहत समन अपराध की आय के जांच के संबंध में जारी किया जाता है जिसे अधिग्रहण किया गया हो सकता है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष निर्णय लंबित है। इस तरह की कार्रवाई के संबंध में, नामित अधिकारियों को निर्णय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी और साक्ष्य के संग्रह के लिए किसी भी व्यक्ति को बुलाने का अधिकार दिया गया है। जरूरी नहीं कि यह नोटिस पाने वाले के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए हो। इस अधिनियम के तहत नामित अधिकारियों को सौंपी गई शक्ति, हालांकि वास्तविक अर्थों में जांच के रूप में दी गई है, अपराध की आय के संबंध में कार्रवाई शुरू करने या आगे बढ़ाने के लिए प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच करना है, यदि स्थिति आवश्यक है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यह एक अलग मामला है कि की गई जांच के दौरान इस तरह से एकत्रित की गई जानकारी और साक्ष्य, धन शोधन के अपराध और उस व्यक्ति की संलिप्तता का खुलासा कर सकते हैं, जिसे प्राधिकरण द्वारा जारी समन के अनुसार खुलासा करने के लिए तलब किया गया है। इस स्तर पर, धन शोधन के अपराध के आरोपी के रूप में ऐसे व्यक्ति की संलिप्तता की संभावना का संकेत देने वाला कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं होगा। यदि उसके द्वारा दिया गया बयान धन शोधन के अपराध या अपराध की आय के अस्तित्व का खुलासा करता है, तो वह अधिनियम के तहत ही कार्रवाई योग्य हो जाता है।

339. इसे अलग तरह से कहने के लिए, संपत्ति के अपराध की आय होने के संबंध में प्रासंगिक तथ्यों की जांच करने के उद्देश्य से बयान दर्ज करने के चरण में, उस अर्थ में, अभियोजन के लिए जांच नहीं है; और किसी

भी मामले में, नोटिसकर्ता के खिलाफ कोई औपचारिक आरोप नहीं होगा। इस तरह के समन अधिकृत अधिकारियों द्वारा की गई जांच में गवाहों को भी जारी किए जा सकते हैं। हालांकि, अन्य सामग्री और साक्ष्य के आधार पर आगे की जांच के बाद, ऐसे व्यक्ति (नोटिस प्राप्तकर्ता) की संलिप्तता का पता चलता है, अधिकृत अधिकारी निश्चित रूप से उसके खिलाफ उसके कृत्यों या चूक के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में, समन जारी करने के चरण में, व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता है। हालांकि, अगर उसका बयान ईडी अधिकारी द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया जाता है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 20(3) या धारा 25 के परिणाम लागू हो सकते हैं, जिससे यह आग्रह किया जा सकता है कि यह स्वीकारोक्ति की प्रकृति का है, इसलिए उसके खिलाफ साबित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, यह अभियोजन पक्ष को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने से नहीं रोकेगा, जिसमें उसके दावे के झूठ को इंगित करने के लिए अन्य ठोस सामग्री के आधार पर 2002 अधिनियम की धारा 63 के तहत परिणाम शामिल हैं। यह सबूत के नियम का मामला होगा। ”

77. धारा 50 के दायरे के संबंध में कोई अस्पष्टता नहीं है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या याचिकाकर्ता के बयान में वह धन शोधन के अपराध में शामिल था। याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि मैसर्स एएमपीएल के साथ उनका वित्तीय संक्रमण हुआ था। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, यह मेसर्स एएमपीएल और इसके निदेशक हैं जिनके पास अपराध की आय है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त होने या जानबूझकर सहायता करने का प्रयास करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि (यहां रेत घोटाला) में शामिल है, जिसमें इसे छिपाना, कब्जा करना, अधिग्रहण करना या उपयोग करना और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना शामिल है।

78. याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए दस्तावेज़, अनुलग्नक पी8 श्रृंखला, रुपये की राशि सहित भुगतान और धन की प्राप्ति को दर्शाता है। 39 लाख, जिसे ईडी द्वारा दागी धन के रूप में पेश किए जाने का दावा किया गया था। ईडी यह स्थापित करने में विफल रहा है कि उसके पास यह मानने का कारण है कि याचिकाकर्ता अवैध रेत

खनन व्यवसाय के माध्यम से मेसर्स एएमपीएल द्वारा प्राप्त किसी भी धन को छिपाने, या कब्जे, या अधिग्रहण, या उपयोग, या बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने या बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करने में शामिल है।

79. इस प्रकार, ईडी द्वारा याचिकाकर्ता को दिए गए "विश्वास करने का कारण" वाले बयान में यह मानने के लिए संतोषजनक सामग्री नहीं है कि याचिकाकर्ता पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का दोषी है।

80. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता की 20 सितंबर 2024 की गिरफ्तारी अवैध है और पीएमएलए की धारा 19 (1) में निहित सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है।

81. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कोई भी अवैध हिरासत भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।

82. नतीजतन, तत्काल रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

83. याचिकाकर्ता को विशेष न्यायाधीश, (पीएमएलए), पटना की न्यायिक हिरासत से तत्काल रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह विशेष न्यायाधीश द्वारा उचित और समुचित समझे जाने पर जमानत के साथ या उसके बिना बांड निष्पादित करे।

84. इस प्रकार, तत्काल रिट याचिका संघर्ष स्वीकार किया जाता है।

85. हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(बिबेक चौधरी, न्यायमूर्ति)

उत्तम/एसकेएम/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।